छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक नगर, रायपुर 492012

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

(संस्था का पंजीयन क्रमांक 210 दिनांक 20.08.02)

बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्य प्रणाली

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना	
2	बीज प्रमाणीकरण का उद्देश्य	
3	बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक आर्हताएं	
4	बीज प्रमाणीकरण हेतु फसलों / किस्मों की पात्रता	
5	बीजों की श्रेणियां	
6	बीज प्रमाणीकरण के लिए आवेदन,निरीक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क	
7	बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम में क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का निर्धारण	
8	क्षेत्र निरीक्षण एवं बीज प्रमाणीकरण की इकाई	
9	बीज के स्त्रोत का सत्यापन	
10	बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत फसल की देखभाल	
11	फसल का निरीक्षण	
12	पुनः निरीक्षण	
13	कटाई,गहाई एवं ढुलाई	
14	बीज प्रकिया	
15	बीज परीक्षण हेतु नमूना	
16	पुनः नमूना लेना तथा पुनः परीक्षण कराना	
17	अनुवांशिक शुद्धता	
18	बीज लॉट	
19	बीज लॉट का आकार	
20	बीज का प्रमाणीकरण	
21	प्रमाण–पत्र	
22	प्रमाणीकरण टेग लगाना	
23	संस्था को देय सभी शुल्कों की भुगतान विधि	
24	वैद्यता अवधि बढ़ाना	
25	भौतिक दिखावट	
26	बीज का पुनः प्रमाणीकरण करना	
27	अग्रिम टैगिंग	
28	प्रमाण–पत्र का खण्डन	
29	कार्यप्रणाली के संबंध में प्रबंध संचालक के अधिकार	
30	अपील	

31	परिशिष्ट I	
32	परिशिष्ट I I	
33	परिशिष्ट I I I	
34	परिशिष्ट I V	
35	परिशिष्ट V	
36	परिशिष्ट VI	
37	परिशिष्ट VII	
38	परिशिष्ट VIII	
39	परिशिष्ट IX	
40	परिशिष्ट X	

छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की कार्यप्रणाली

केन्द्र शासन द्वारा बीज अधिनियम 1966 की धारा 25 के अंतर्गत बनाये गये बीज नियम, 1968 की धारा–6 (बी) के अंतर्गत केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण परिषद के निर्देशानुसार , छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ में बीज के प्रमाणीकरण के तकनीकी कार्यो हेतु यह कार्यप्रणाली जारी की जा रही है । जो " संस्था की कार्यप्रणाली" के नाम से जानी जावेगी । इसके साथ ही इस संस्था द्वारा पूर्व में जारी की गई " तदर्थ कार्यप्रणाली" निष्प्रभावी हो जावेगी ।

1. बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना :–

बीज अधिनियम–1966 की धारा–8 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना (पंजीयन क्र. 210 दिनांक 20.08.2002 को की गई जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है । बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण का कार्य, कृषक,बीज उत्पादक संस्थाएं,केंद्रीय/राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सहयोग से ही पूरा होना संभव है । प्रमाणीकरण के कार्य में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण,सजगता,सक्षम एवं निष्पक्ष कार्यकर्ता तथा विशुद्ध कार्यप्रणाली की आवश्यकता है । बीज प्रमाणीकरण में संलग्न तकनीकी अधिकारियों /कर्मचारियों एवं उत्पादकों के मार्गदशर्न हेतु यह पुनरीक्षित कार्यप्रणाली प्रसारित की जा रही है।

2. बीज प्रमाणीकरण का उद्देश्य :–

बीज प्रमाणीकरण का उद्देश्य फसलों की अधिसूचित किस्मों का केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अंतर्गत प्रमाणीकरण करना है एवं उच्च गुणवत्ता के बीज की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

3. बीज प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक अर्हताएं :–

केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण ,विशिष्ट फसलों के निर्धारित मानक,समय–समय पर केंद्रीय बीज समिति/ उपसमिति द्वारा अनुमोदित नियमों का ,छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा समय–समय पर जारी निदेर्शो एवं इस कार्यप्रणाली में उल्लेखित नियमों व धाराओं का पालन अनिवार्य है ।

4. प्रमाणीकरण हेतु फसलों / किस्मों की पात्रता :–

केवल वे फसलें/किस्में जो बीज अधिनियम 1966 की धारा–5 के अंतर्गत अधिसूचित हो बीज प्रमाणीकरण की पात्रता रखती है।

5. बीजों की श्रेणियां :–

5.1 प्रजनक बीज **(Breeder's Seed)** :– यह बीज प्रजनक अथवा प्राधिकृत प्रजनक की सीधी देख–रेख में तैयार किया जाता है एवं/या जिसका उत्पादन सुशिक्षित पादप प्रजनक के पर्यवेक्षण में किया गया हो । प्रजनक बीज अनुवांशिक रूप से शत –प्रतिशत शुद्ध होना चाहिये । जिसकी मॉनीटरिंग,टीम द्वारा ,खेत स्तर पर की जाती है ।

5.2 आधार बीज **(Foundation Seed)** :– आधार बीज प्रजनक बीज की संतति होगी या ऐसे आधार बीज से प्रगुणित किया गया हो जिसका पूर्व पैतृक प्रजनक बीज हो,की पुष्टि हो सके व उसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देख–रेख में एवं स्वीकृति से हुआ हो इस प्रकिया के दौरान निम्न मापदण्डों का पालन आवश्यक होगा :–

5.3 प्रजनक बीज से प्राप्त संतति आधार –**I** होगा ।

5.4 ऐसा आधार बीज जो आधार–**I** से प्रगुणित किया गया हो वह आधार–**II** होगा बशर्ते उत्पादक इकाई के सारे प्रयत्नों के बाद भी आधार बीज उत्पादन नहीं हो पाया हो एवं आधार बीज की वास्तविक कमी हो ।

5.5 आधार–**II** को पुनः आधार बीज प्रगुणन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा ।

5.6 आधार–**I** एवं आधार–**II** के प्रमाणीकरण मानक, जहां अलग–अलग निर्धारित नहीं किये गये हों एक समान रहेंगे व दोनो स्तरों के लिये निर्धारित मानकों के सहित सफेद रंग का टैग लगाया जावेगा ।

5.7 **<u>प्रमाणित बीज</u> (Certified Seed)** :–

5.8 प्रमाणित बीज आधार बीज की संतति होगी और उसका उत्पादन इस तरह से हाथ में लिया जाएगा जिससे विशेष अनुवांशिक पहचान एवं शुद्धता प्रमाणित की जाने वाली फसल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी रखी जा सके ।

5.9 प्रमाणित बीज ,प्रमाणित बीज की संतति हो सकता है। बशर्ते कि यह पुनर्प्रगुणन आधार– **I** बीज के बाद तीन पीढ़ी से अधिक न हो और बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा यह निश्चित कर लिया गया हो कि अनुवांशिक शुद्धता एवं पहचान सार्थक रूप से परिवर्तित न हुई हो।

5.10 प्रमाणित बीज के विभिन्न स्तरों के बीजों पर भारतीय न्यूनतम बीज मानकों में निर्धारित आकार व रंग (नीले) के टैग लगाये जावेंगे ।

5.11 उस उत्पादन के लिये जो प्रमाणीकरण के अंतर्गत पुनः बीज प्रगुणन का पात्र नहीं है, टैग पर "प्रमाणीकरण के अंतर्गत पुनः प्रगुणन का पात्र नही" शब्द अंकित करना आवश्यक होगा ।

5.12 निम्नानुसार श्रृखलाओं में फसलों का पंजीयन मान्य होगा :–

प्रजनक	आधार प्रथम
आधार प्रथम	प्रजनक
आधार द्वितीय	प्रमाणित प्रथम
प्रमाणित प्रथम	प्रमाणित द्वितीय
प्रमाणित द्वितीय	प्रमाणित तृतीय

5.13 प्रमाणित तृतीय की अनुमति प्रबंध संचालक द्वारा पर्याप्त एवं उचित कारणों के आधार पर दी जा सकेगी।

6. बीज प्रमाणीकरण के लिये आवेदन ,निरीक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क :–

बीज प्रमाणीकरण के इच्छुक किसान,संस्थाएं इत्यादि बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

6.1 संस्था बीज उत्पादन हेतु संबंधित विभागों से पंजीकृत हो ।

6.2 बीज उत्पादक/विपणनकर्ता संस्थायें निर्धारित आवेदन (परिशिष्ट–I) में संस्था से पंजीयन करायेगी ।

6.3 इच्छुक कृषक भी उत्पादक संस्थाओं की तरह अपना पंजीयन करा सकते हैं ।

6.4 प्रदेश मे बीज उत्पादन के इच्छुक कृषक/उत्पादक संस्थाएं अपने कार्यक्रम/लक्ष्य का निर्धारण कर बीज वितरण के 30 दिन पूर्व संस्था को जिलेवार कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत करेंगे ।

6.5 बीज उत्पादन हेतु बीज का उपयोग,(वितरण) प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित प्रधान कार्यालय से बीज स्टॉफ सत्यापन उपरांत करेंगें । अन्य प्रदेशों से प्राप्त बीज के अंतिम प्रमाणपत्र (प्रपत्र–7) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

6.6 बीज उत्पादन हेतु कृषक को बीज वितरण के साथ दिये जाने वाले चालान/बिल में बीज का लॉट कमांक वजन व बेगो की संख्या अंकित हो ।

6.7 बीज वितरण के समय ही प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन, (परिशिष्ट– **II**) कृषक से भरवा लिये जावेंगे। आवदेनों पर आवेदक कृषक के ही हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान होंगे । संस्था द्वारा प्रत्येक कृषक को परिचय पत्र न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जावेगा जिसकी छायाप्रति आवेदन पत्र में लगाना होगा एवं निरीक्षण के दौरान अथवा कभी भी मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा ।

6.8 प्रत्येक फसल/किस्म व श्रेणी के लिए पूर्ण रूप से सही भरा हुआ अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा ।

6.9 प्रत्येक कृषक का पंजीयन प्रत्येक मौसम में प्रत्येक उत्पादक संस्था के लिये अलग–अलग होगा ।

6.10 आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है ।

6.10.1 संस्था द्वारा प्रदाय परिचय पत्र की छायाप्रति अथवा खसरा की नकल (बी–2) या भू–अधिकार या ऋण पुस्तिका की उत्पादक एवं उत्पादक संस्था द्वारा सत्यापित छायाप्रति । प्रमाणीकरण के लिये उन्ही कृषकों के नाम से पंजीयन मान्य किया जावेगा जिन्होने अपने स्वयं/संयुक्त परिवार के खाते की भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है । शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार लीज पर ली गई भूमि पर भी बीज उत्पादन मान्य किया जा सकता है ।

6.10.2 आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक लॉट का एक–एक टैग,बिल/केशमेमो की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें । टैग,लेबिल,सील आदि संभाल कर रखने हेतु कृषक को समझाइश दें। बीज स्त्रोत निर्धारित करने हेतु आवश्यक अन्य प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा । जिसमें अन्य राज्यों से प्राप्त बीज का पैकिंग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर,लॉट मूवमेंट,संतति प्रमाण आदि पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा ।

6.10.3 प्रजनक से आधार बीज उत्पादन हेतु प्रजनक लेबल,प्रजनक प्रमाण पत्र पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा ।

6.10.4 निर्धारित शुल्क (परिशिष्ट– **III**) का बैंक ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ,रायपुर के नाम से देय होगा,जिन्हे निर्धारित कट ऑ डेट (परिशिष्ट– **IV**) के पूर्व जमा करना होगा ।

6.11 बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा संभव एक उत्पादक को एक ही लॉट का बीज दिया जाए ।

6.12 प्रत्येक बिंदु की सही –सही जानकारी आवेदन पत्र में अंकित हो व उत्पादक संस्था उसे सत्यापित कर,क्षेत्र में पदस्थ बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को सौपेंगें ।

6.13 संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों की जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

6.14 आवेदन पत्र (परिशिष्ट– **II** के अनुसार) निर्धारित तिथियों तक या आवश्यकतानुसार ऋतु विशेष में की गई वृद्धि अनुसार स्वीकार होंगे।

6.15 अपूर्ण व असत्य जानकारी देने पर आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

6.16 यदि कोई आवेदक अपरिहार्य कारणों,अतिवर्षा या सूखे के कारण बीज नहीं बो पाता है या फसल नष्ट हो जाती है तो पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 15 दिन के अंदर, आवेदन किया गया संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम से वापस करा सकता है, जिसके अंतर्गत केवल निरीक्षण शुल्क की राशि ही वापस /समायोजित हो सकेगी। बशर्ते बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया हो ।

6.17 संस्थागत /कृषक पंजीयन,उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु अनिवार्य होगा ।

6.18 बीज उत्पादक संस्था / बीज उत्पादक के मैदानी कार्यकर्ता बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी को खेत चिन्हित करने में सहायता करेंगे तथा संस्था के अधिकारी उनके भ्रमण के दौरान प्रमाणीकरण संबंधी उत्पादकों को तकनीकी जानकारी देंगे, जैसे भिन्न पौधे,संदूषक,खरपतवार आदि निरीक्षण के पूर्व निकालने हेतु जानकारी देंगे ।

6.19 बीज उत्पादक कृषक के खेत का फसल निरीक्षण अवस्था अनुसार नहीं होने पर जानकारी उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है । जिन उत्पादकों का निरीक्षण नहीं हो पाता है ऐसे उत्पादकों की जानकारी प्रथम निरीक्षण से पूर्व बीज प्रमाणीकरण संस्था संबंधित उत्पादक संस्था को उपलब्ध करायेगी । मौसम की प्रतिकूल दशा में अथवा ऐसी दशा में जब अपरिहार्य कारणों से निरीक्षण नहीं हो पाया हो तो ऐसे कृषकों का निरीक्षण शुल्क बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वापस किया जावेगा । बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसके अलावा कोई अन्य प्रभार नहीं दिया जावेगा ।

6.20 सभी संकर किस्मों का ग्रो आउट परीक्षण अनिवार्य होगा । आधार एवं प्रमाणित बीजों का ग्रो–आउट परीक्षण ऐच्छिक रहेगा । संस्था द्वारा आधार एवं प्रमाणित बीज लॉट के एक प्रतिशत नमूने रेण्डमली लिये जाकर ग्रो–आउट परीक्षण किया जावेगा । यह परीक्षण संस्था के कार्य का आंकलन करने हेतु पोस्ट कंट्रोल के रूप में उपयोग किया जावेगा ।

6.21 परिशिष्ट– **IV** के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा ।

7 प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम में क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का निर्धारण :–

7.1 बीज प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की कोई अधिकतम क्षेत्रफल सीमा निर्धारित नहीं है ।

7.2 प्रस्तावित बीजोत्पादन कार्यक्रम सघन बनाने के लिये कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार शर्तें रहेंगी। विशेष स्थितियों में इसमें प्रबंध संचालक की अनुमति से परिर्वतन किया जा सकेगा :–

7.2.1 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत प्रकिया केंद्रों से 30 किलोमीटर के अंदर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावे ।

7.2.2 शासकीय प्रक्षेत्र एवं बीज निगम प्रक्षेत्रजहां प्रकिया केंद्र नहीं है के 15 किलोमीटर के अंदर कार्यक्रम लिया जावे ।

7.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में कृषक बीज उत्पादक कार्यक्रम लेने हेतु उत्सुक हो तो 7 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 30 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है ।

7.2.4 संकर कपास के लिये प्रत्येक ग्राम में कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।

7.2.5 सब्जी बीजोत्पादन कार्यकम हेतु 5 किलोमीटर की परिधि में 1 हैक्टेयर क्षेत्र होना चाहिये । उपरोक्त सीमा का बंधन लघु फसलों (Minor Crops) पर लागू नहीं होगा । उत्पादक संस्थाओं द्वारा ग्रामों/कृषकों का चयन इस प्रकार किया जावेगा जहां निरीक्षण हेतु सुगमता से पहुंचा जा सके । बीज ग्राम योजना की सूची उत्पादक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी ।

7.3 जिस बीज उत्पादक संस्था के माध्यम से उत्पादन कार्यकम पंजीकृत किया जावेगा उसका बीज उत्पादन सामान्यतः उसी संस्था के बोरे/थैले अथवा ट्रेडमार्क में पैक किया जावेगा । निर्धारित शुल्क सहित किसी बीज उत्पादक संस्था/कृषक द्वारा अन्य बीज उत्पादक संस्था को विपणनकर्ता निर्धारित करने की अनुमति संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जावेगी । विपणनकर्ता संस्था के बैग/लेबेंल में बीज उत्पादक संस्था का नाम स्पष्ट अंकित किया जावे ।

7.4 संस्था द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क की दरें (परिशिष्ट– **III**) में निर्धारित अथवा समय–समय पर संशोधित दरों के अनुसार देय होगी ।

8 क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की इकाई :–

एक कृषक / बीज उत्पादक द्वारा बोये गये कुल क्षेत्र के निरीक्षण के लिये निम्नानुसार प्रमाणीकरण क्षेत्र को एक ईकाई माना जायेगा अगर :

8.1 उसका क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर से अधिक न हो । 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने पर सुविधानुसार 2 या अधिक भाग किये जा सकते है पर इसका निरीक्षण शुल्क पर कोई असर नहीं होगा ।

8.2 पूरे क्षेत्र में बोई गई फसल एक ही किस्म की हो ।

8.3 पूरे क्षेत्र की फसल की अवस्था (आयु) तथा बाढ़ समान हो ।

8.4 पूरे क्षेत्र में एक ही श्रेणी तथा एक ही वंशानुगत पीढ़ी का बीज बोया गया हो ।

8.5 पूरे क्षेत्र में विभिन्न खेत एक दूसरे से 50 मीटर से अधिक दूर न हो।

8.6 बीज उत्पादक संस्था जहां तक हो सके अच्छी फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त कृषि कार्यमालां की उचित जानकारी समय पर प्रदाय करे/अपनायें जिससे बीज की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके ।

8.7 अन्तर्वती फसल बीज उत्पादन के अंतर्गत केवल प्रमाणित श्रेणी के तिलहन एवं दलहन फसलों हेतु मान्य होगी । आधार बीज उत्पादन सिंगल (एकल) फसल के रूप में होगी ।

9 बीज के स्त्रोत का सत्यापन :–

आवेदन पत्र के साथ

बीज स्त्रोत सत्यापन प्रमाणीकरण प्रकिया प्रारंभ करने के पूर्व की मूलभूत तथा अनिवार्य प्रकिया है, अतः यह जानने के लिये कि प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत बीज उत्पादन कार्यक्रम ,मान्य स्त्रोत से ही प्राप्त बीज बोया गया है,संस्था को बीज उत्पादन पंजीयन आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करने होंगें :–

9.1 बीज प्राप्ति का संपूर्ण विवरण । प्रदाय संस्था का चालान/बिल आदि ।

संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृक बीजों का लाटॅ मूवमेंट ।

9.2 अन्य राज्यों से प्राप्त बीज का पैकिंग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर ।

9.3 श्रेणी निर्धारण हेतु संतति प्रमाण पत्र । अन्य प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज में यदि श्रेणी को स्पष्ट न किया गया हो,तो अंतिम प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र से पुष्टि की जावे । अथवा आवश्यकतानुसार संबंधित संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर दिये गये प्रमाण को भी मान्य किया जा सकेगा ।

9.4 प्रजनक बीज का प्रमाण पत्र ,विल,बीज आबंटन एवं अन्य सहयोगी प्रमाण ।

9.5 बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन प्रपत्र ।

9.6 प्रत्येक उत्पादक को जारी किया गया चालान /बिल जिस पर प्रदाय बीज का लाट कमांक स्पष्ट अंकित हो तथा कृषक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों ।

9.7 आधार एवं प्रमाणित बीज की श्रेणी निर्धारण हेतु प्रत्येक लाट का एक टैग प्रत्येक पंजीयन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र में समस्त टैगो/लेबल के नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

कृषक प्रक्षेत्रों पर निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध होना चाहिये

9.8 आवेदन फार्म में दर्शाये गये लाट्स के समस्त बैग्स/टैग्स/लेबल ।

9.9 उत्पादक संस्था द्वारा जारी किया गया चालान/बिल जिस पर लाट कमांक व अन्य विवरण स्पष्ट अंकित हो ।

बीज स्रोत सत्यापन का मूल उद्देश्य कृषक द्वारा उपयोग किये गये बीज का स्त्रोत एवं संतति निर्धारण है । उपरोक्तानुसार में से उपलब्ध प्रमाण से संतुष्ट होने पर उसका विवरण प्रतिवेदन में अंकित कर बीज स्त्रोत का सत्यापन किया जायेगा ।

10. बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत फसल की देखभाल :–

बीज प्रमाणीकरण के लिए फसल उगाते समय प्रत्येक किसान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संस्था द्वारा बताई गयी कृषि कार्य संबंधी विभिन्न कार्यविधि जिसमें प्रथक्करण दूरी ,अवांछित पौधों का निकालना, संकर मक्का उत्पादन में मादा पंक्ति से पराग देने वाली नर मंजरी निकालना तथा संकर ज्वार एवं बाजरा की मादा पंक्ति से पराग देने वाले शीर्ष निकालना आदि सम्मिलित है, को समय अनुसार अपनायें, जिससे उत्पादित बीज भारतीय न्यूनतम बीज मानकों के अनुरूप बन सके । इसके अलावा बीज प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित फसल में निम्नलिखित शर्ते पूरी होना आवश्यक है ।

10.1 खेत में केवल एक ही फसल बोई गयी हो, मिश्रित खेती एवं पेढ़ी मान्य नहीं होगी ।

10.2 संकर किस्मों के बीज उत्पादन में नर एवं मादा की अलग–अलग पंक्तियां लगाई जाए तथा उनकी बोआई की संख्या नीचे दी गयी सारिणी के अनुसार रखी जावे :–

फसल	न्यूनतम सीमांतता नर पंक्ति की संख्या	बोवाई का अनुपात	
		मादा	नर
बाजरा	8	4	2
मक्का संकर जाति	4	4	2
अन्य संकर जाति	2	6	2
ज्वार	4	4	2

10.3 यदि कोई स्वपरागित या परागित बीज फसल एक तिहाई या उससे अधिक गिर जाती है जिसमें निरीक्षण के लिए विस्तृत गणना करना कठिन हो या असंभव हो तो फसल प्रमाणीकरण के योग्य नहीं मानी जाएगी । यदि उप / सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यह समझें कि पकने की स्थिति तक गिरी हुई फसल खडी हो सकती है, तो खेत को तुरंत निरस्त नहीं किया जावेगा तथा अगले निरीक्षण में इसकी पुष्टि की जावेगी परंतु गेंहू की वे किस्में जो लूजस्मट बीमारी से ग्रसित हो सकती हो, यदि फूल आने की अवस्था पर एक तिहाई से अधिक गिर गई हो तो फसल का प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत पर–परागित बीज फसलों में और दो जनक वाली संकर जातियों के उत्पादन में यदि फूल आने की अवस्था में या उससे पहले 1/3 से अधिक फसल गिर जाए और गणना करना संभव न हो तो प्रमाणीकरण निरस्त किया जावेगा ।

10.4 बीज फसल उगाने हेतु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित बीज उत्पादन की शस्य विधियों एवं स्वच्छ कृषि कार्यमाला आवश्यक है, जिससे बीज की गुणवत्ता का स्तर सुधारा जा सके । बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत ली गई फसल की कटाई तथा भण्डारण के बाद भी संस्था के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । और उन्हें यह अधिकार होगा कि यदि किसी लाट में मिश्रण हो चुका हो अथवा सुरक्षित ढंग से न रखा गया हो तो उसका प्रमाणीकरण रद्द कर सके ।

10.5 बीज प्रमाणीकरण कार्यकम के अंतर्गत भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अनुसार बीज गुणवत्ता, का स्तर बनाये रखने के लिए बीज उत्पादक द्वारा भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के अनुसार निर्धारित तकनीक अपनाना आवश्यक होगा ।

10.6 मिश्रित खेती मान्य नहीं होगी । अंतवर्ती फसल उत्पादन कार्यकम हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के परिशिष्ट– I की शर्तो के अनुसार ही मान्य किया जा सकेगा ।

11 फसल का निरीक्षण :–

खेत निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बोई गई फसल किस्म का निम्न बिन्दुओं के आधार पर सत्यापित करना है ।

11.1 उपयोग किये गये बीज का बीज स्त्रोत सत्यापित हो जिससे अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता जो निर्धारित है, उच्च गुणवत्ता का तैयार हो ।

11.2 यह सत्यापित करना कि जिस भूमि में उत्पादन कार्यकम लिया जा रहा है ,उस भूमि में पूर्व में ली गई फसल क्या थी, जिससे संदूषण तथा बीमारी से प्रभावित होने की संभावना न हो ।

11.3 यहं सत्यापित करना कि बीज प्लाट की पृथक्करण दूरी संतोषप्रद है या नहीं ।

11.4 संकर किस्मों में निर्धारित बार्डर लाइन लगाई गई है या नहीं ।

11.5 संकर किस्मों में नर एवं मादा लाईन निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं ।

11.6 कृषक प्रक्षेत्र पर बीज प्लाट की गणना हेतु बीज प्लाट में जाकर पूर्ण क्षेत्र की गणना नियमानुसार करें तथा निर्धारित अनुपात में लगाई गई है या नहीं ।

11.7 न्यूनतम खेत निरीक्षण विभिन्न फसल में निम्नानुसार होगा :–

क.	फसल	निरीक्षण संख्या	निरीक्षण की अवस्था
1	धान,गेंहू,रागी,मूंग,उडद ,अरहर,लोबिया,फ्रेंचबीन सोयाबीन,मूंगफली	2	पहला पुष्पन के समय,दूसरा पकते समय
2	(ए) मक्का सिंगल क्रास एवं संकर मक्का (बी) कम्पोजिट एवं अन्य	4 2	पहला पुष्पन के पहले तीन पुष्पन के बाद। पहला पुष्पन के पहले दूसरा पुष्पन के बाद
3	संकर ज्वार, बाजरा,सूर्यमुखी	4	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा एवं तीसरा पुष्पन के समय चौथा कटाई के पहले ।
4	ज्वार,बाजरा,सूर्यमुखी, कुसुम,तिल,जूट	3	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा पुष्पन के समय तीसरा कटाई के पूर्व
5	(ए) संकर कपास (बी)कपास,किस्म, अरण्डी किस्म	4 2	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा,तीसरा पुष्पन के समय चौथा(पिकिंग के समय) पुष्पन से कटाई के समय तक
6	अरंडी संकर	4	पहला पुष्पन के पहले, दूसरा तीसरा पुष्पन के समय चौथा कटाई के पूर्व
7	बैंगन,भिण्डी,टमाटर, मिर्च,कुकर बिट्स तथा फलवाली सब्जियां	3	पहला पुष्पन के पूर्व, दूसरा पुष्पन के समय तीसरा फल पकने के समय
8	आलू	4	पहला बोनी के 45 दिन बाद दूसरा बोनी के 60–65 दिन बाद(शीघ्र पकेने वाली फसल) एवं 70–75 दिन (देर से पकने वाली फसल) हेतु । तीसरा हाल्म कटिंग के बाद चौथा हाल्म कटिंग के 10 दिन बाद
9	गाजर,मूली	3	पहला 20–30 दिन बाद रोपन के पहले।दूसरा रोपाई के बाद तीसरा पुष्पन के समय

11.8 खेत निरीक्षण के समय गणना लेना एवं प्रतिवेदन तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रकिया है अतः भारतीय न्यूनतम मानक,निर्धारित गणना संख्या और स्टेंडर्ड त्रुटि को ध्यान रखकर कृषक को फसल की स्थिति अनुसार निर्देशित किया जाना अपेक्षित है ।

11.8.1 वानस्पतिक अवस्था : बीज स्त्रोत सत्यापन ,पृथक्करण दूरी,संदूषण पौधे की पहचान एवं पुष्पन अवस्था में ली जाने वाली सावधानियां आदि ।

11.8.2 पुष्पन अवस्था : संदूषण के कारकों का विवरण, दुर करने के उपाय व अन्य ऐसी सावधानियां जिससे गुणवत्ता में उतरोत्तर सुधार हो ।

11.8.3 फसल पकते समय : कटाई,गहाई एवं बीज ढुलाई में आवश्यक सावधानियां ।

11.8.4 पुनःगणना : स्टेंडर्ड त्रुटि को ध्यान में रखकर बीज फसल को मानकों के अनुरूप मान्य या अमान्य करने हेतु पुनः गणना करना अनिवार्य है।

11.8.5 बीज फसल के निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करे, निरीक्षण के समय उपस्थित कृषक या उसके प्रतिनिधि एवं उत्पादक संस्था के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर ले कर एक प्रति तत्काल कृषक/उसके प्रतिनिधि/उत्पादक संस्था को दी जायेगी । यदि कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर से इनकार करता है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जाये । ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निरस्त प्रतिवेदन 48 घंटे के अंदर पंजीकृत डाक से संबंधित कृषक एवं संभागीय कार्यालय को भेजी जावेगी ।

11.9 मानक अनुरूप बीज फसल की कटाई,गहाई एवं ढुलाई निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत तथा निर्धारित प्रकिया केंद्र पर कट आफ डेट के पूर्व करना चाहिये । उक्त कार्य में उत्पादक सभी आवश्यक सावधानियां बरतेंगे जिससे बीज की गुणवत्ता सुरक्षित रहे ।

12 पुनः निरीक्षण :–

प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र यदि किसी निरीक्षण के समय प्रमाणीकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बीज उत्पादक निर्धारित शुल्क के साथ निरीक्षण के एक सप्ताह के अंदर आवेदन देकर पुनः निरीक्षण करा सकता है । ऐसे निरीक्षण एक या एक से अधिक किये जा सकते है । पुनः निरीक्षण की अनुमति बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी । जिनके सुधारने पर बीज की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा ।

कटाई,गहाई एवं दुलाई :–

उच्चकोटि के बीज तैयार करने के उद्देश्य से किया गया संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ जाएगा यदि बीज में कटाई,गहाई एव दुलाई के समय किसी तरह का मिश्रण हो जाए । बीज प्रमाणीकरण संस्था के लिए न तो यह संभव है और न व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि उसका प्रतिनिधि प्रत्येक कार्य की देखभाल करे । यह कार्य मुख्य रूप से बीज उत्पादक कृषक की जिम्मेदारी तथा ईमानदारी पर निर्भर है । छत्तीसगढ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षण अधिकारी भी समय–समय पर जहां आवश्यक होगा जांच करेंगे तथा आवश्यक निर्देश देगे जिसका बीज उत्पादक कृषक पालन करेंगे ।

नीचे कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिये जा रहे हैं जिनके अनुसार बीज उत्पादक कृषक तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षण अधिकारी फसल मौसम तथा अन्य परिस्थिति को देखते हुए कार्य योजना निश्चित करेंगे ।

13.1 उन उत्पादनों में जहां–जहां जनक पौधे की पंक्ति लगाई गई है निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण कर यह निश्चित कर लेंगे कि नर जाति के पौधों की पंक्ति पहले काट ली गई है तथा उनका बीज अलग रख दिया गया है, ताकि उसके मुख्य बीज फसल में मिलने की संभावना न रहे ।

13.2 इसी तरह यह भी निश्चित कर लिया जाए कि उन खेतों का, जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निरस्त कर दिये गये है का उत्पादन प्रमाणीकरण के योग्य उत्पादन के साथ न मिल जाए ।

13.3 यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रकिया केन्द्रो पर उन्ही प्रक्षेत्रों का बीज लाया जावे जिन्हें प्रमाणीकरण के योग्य माना गया है । प्रकिया केन्द्र पर भेजे जाने वाले बीज के साथ अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से लाया जावे ।

13.4 बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी बीज प्रकिया के कार्यो का सतत् निरीक्षण कर सकेंगें ।

13.5 प्रकिया प्रभारी द्वारा उपार्जित बीज को उपार्जन की प्रथम तिथि से उपार्जन की अंतिम तिथि तक पाक्षिक निम्न प्रपत्र में जानकारी संस्था से संबंधित अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे –

कृषक का नाम	पता	फसल	प्राप्त उत्पादन	प्राप्त दिनांक	प्रकिया प्रभारी के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6	7

13.6 संभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के साथ–साथ बीज प्रमाणीकरण अधिकारी विशेष फसल निरीक्षण का कार्य करेंगें:–

क.	पंजीकृत क्षेत्रफल	विशेष निरीक्षण का क्षेत्र
1	1000 हे. से 2000 हे. तक	न्युनतम 300 हे.
2	2000 हे. से 4000 हे. तक	न्युनतम 350 हे.
3	4000 हे. से अधिक	न्युनतम 400 हे.

13.7 संभाग में पदस्थ उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी अपने कार्य के साथ–साथ विशेष फसल निरीक्षण का कार्य भी बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की अनुमति से करेंगें ।

13.8 कटाई एवं गहाई के बाद उत्पादक बीज को अच्छी तरह सुखा कर साफ सुथरे थैलों में सुरक्षित स्थान पर रखें । मक्का के बीज उत्पादन में गहाई से पूर्व अवांछित भुट्टों को छॉटना तथा अलग करना आवश्यक है । संबंधित निरीक्षण अधिकारी इस विषय पर विशेष निर्देश बीज उत्पादकों को देंगें तथा गहाई से पूर्व भुट्टों की छॅटनी का निरीक्षण करेंगें एवं निर्धारित स्तर के अनुरूप होने पर गहाई की स्वीकृति देंगें । जिन बीज प्रकिया केन्द्रों पर भुट्टों को सुखाने तथा दाने निकालने की सुविधा है वहां यह कार्य संबंधित निरीक्षण अधिकारी की देखरेख में बीज प्रकिया केन्द्र पर किया जाएगा।

13.9 एक संभाग से दूसरे संभाग में बीज स्थानांतरण के आवेदन, उत्पादक संस्था द्वारा पंजीकृत कृषक,पंजीकृत प्रमाणित क्षेत्र अनुमानित उपज के साथ तिथिवार कार्यक्रम आवश्यक शुल्क संबंधित सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के माध्यम से संभागीय कार्यालय को भेजे जायेंगे । इन आवेदनों पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वीरा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादक कृषक के उत्पादन स्थल पर बीजों को मोहरबंद (सील से) करने के निर्देश दिए जावेंगे ।

इस प्रकार कृषक के उत्पादन स्थल/खलिहान में संबंधित सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा सील से प्रत्येक लॉट के सभी बोरों को मोहरबंद किया जावेगा । बोरों पर लॉट की पहचान जैसे फसल,किस्म,श्रेणी,लॉट नंबर लिखा जावेगा । साथ ही प्रत्येक बीज लॉट के लिए पृथक–पृथक पूर्ण विवरण सहित जिसमें कृषक का नाम,ग्राम,जिला,पंजीकृत व प्रमाणित क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं मानक अनुरूप बीज प्लाट से प्राप्त वास्तविक उत्पादन

का उल्लेख कर उत्पादक कृषक से हस्ताक्षर कराने के बाद उक्त पत्रक पर संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।

इस तरह मोहरबंद किये गये बीज के स्थानान्तरित होकर दूसरे संभाग के संबंधित बीज प्रकिया केन्द्र पर पहुँचने पर प्रत्येक स्थानांतरित बीज लॉट के प्रत्येक बोरे की सील की एवं उस लॉट हेजु जारी मोहरबंद प्रमाणपत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदनो की जांच की जाकर संतुष्ट होने पर ही बीज प्रकिया कार्यकम बनाने की अनुमति दी जावेगी । यदि किसी बीज लॉट में सील नहीं लगी पायी जावेगी तो ऐसे बीज लॉट को तुरंत निरस्त कर इसकी सूचना दोनो संभागों के बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को दी जावेगी ।

उचित पाये गये लॉट्स की सूची निरीक्षणर्ता अधिकारी ,सत्यापन उपरांत ,संभागीय कार्यालय को सूचित करेगा ।

14 बीज प्रकिया :–

14.1 बीज प्रकिया में खेत स्तर पर मानकों के अनुरूप उत्पादित बीज की भौतिक शुद्धता विशिष्ट बीज मानकों के अनुरूप की जाती है । इस संपूर्ण कार्य में बीज का परीक्षण करना तथा बीज का उपचार करना आदि सम्मिलित है । बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत बीज प्रकिया केन्द्रों ,जिनिंग केन्द्रों पर ही कार्य मान्य होगा । फसल विशेष हेतु बीजों की छनाई के लिये जालियों के माप निर्धारित है जो कि परिशिष्ट V पर दर्शाये गये है । प्रकिया केन्द्रों का पंजीयन प्रतिवर्ष 31 मार्च तक वैध रहेगा । तथा केंद्र के पंजीयन कर नवीनीकरण ,नवीनीकरण योग्य पाये जाने पर पुनः एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा । नवीनीकरण हेतु बीज प्रकिया केन्द्रों का पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क परिशिष्ट III अनुसार रहेगा जो समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा । केंद्रों के नवीनीकरण के आवेदन वैधता दिनांक तक संबंधित संभागीय कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये । वैधता तिथि के पश्चात पूर्ण पंजीयन शुल्क सहित आवेदन देना होगा । बीज प्रकिया केन्द्रों के पंजीयन हेतु परिशिष्ट VI में निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्ण जानकारी निर्धारित शुल्क सहित देनी होगी ।

14.2 बीज प्रकिया केन्द्र पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु आवश्यक अहर्तायें निम्नानुसार होना चाहिये ।

1. प्रकिया केन्द्र उपयुक्त भवन में जिसमें उचित प्रकाश,हवा की व्यवस्था तथा विद्युत के अन्य स्त्रोत जैसे जनरेटर आदि की व्यवस्था हो ।
2. भवन की दीवालें,छत,फर्श आदि साफ ,दरार रहित तथा नमी रोधक हो ।

3. संयंत्र के आस पास कार्य हेतु जगह होना चाहिये तथा असंसाधित एवं संसाधित बीज रखने हेतु अच्छी भंडारण व्यवस्था हो ।
4. संयंत्र मानक उपकरणों से युक्त हो ।
5. केंद्र पर उपयुक्त स्थान हो जहां बीज को सुखाने आदि का कार्य सुगमता से संपन्न हो सके ।
6. संयंत्र के संसाधन क्षमता का सही उपयोग करेंगे बीज की शुद्धता को बनाये रखेंगे ।
7. संयंत्र निरीक्षण हेतु पहुंच मार्ग सुगम हो ।
8. सभी प्रमाणीकरण संबंधी कियाएं संस्था के प्रतिनिधि के अनुमोदन उपरांत होनी चाहिये ।

14.3 बीज प्रकिया हेतु प्रणाली :–

बीज प्रकिया एक महत्वपूर्ण किया है,जिसमें बीज की गुणवत्ता को बीज प्रकिया द्वारा ,अवशिष्ट पदार्थ जैसे– कंकड़,मिट्टी,छोटे बीज ,खरपतवार बीज,कटे–फटे बीजों को अलग कर, बनाया जाता है । प्रभारी अधिकारी बीज उत्पादक से आवश्यक दस्तावेज जैसे अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट आदि को जांचने के उपरांत असंसाधित बीज को यदि मोहरबंद प्रमाणपत्र दिया गया है तो उसमें दी गई वास्तविक उपज के आधार पर प्राप्त करेगा एवं निम्नानुसार बीज लॉट की जांच करेगा ।

(अ) बीज लॉट में भौतिक मिलावट,अवशिष्ट पदार्थ,लस्चर आदि ।
(ब) कीटोपघात ,बिमारी,संदूषण आदि ।
(स) नमी प्रतिशत ।
(द) बीज लाट की मात्रा ।
(इ) कट आफॅ डेट के पूर्व प्राप्ति ।
(फ) स्पष्ट दिखाई देने वाला मिश्रण ।

14.4 प्रत्येक लाटकी प्रकिया के बाद बीज साफ–सुथरे बोरों में भरा जायेगा, जिसमें फसल ,किस्म व श्रेणी लॉट कमांक अंकित हो ।

14.5 प्रकियाकृत बीज के प्रत्येक बोरे का वज़न एक समान हो तथा सिलाई के बाद बोरों को सील लगाकर मोहरबंद किया जायेगा ।

14.6 एक स्टेक में एक ही किस्म ,श्रेणी का बीज रखा जा सकेगा एवं स्टेक पर पहचान के विवरण का स्टैक कार्ड लगाया जावेगा ।

14.7 बीज के स्टेक के चारो तरफ पर्याप्त जगह हो ताकि सुगमता से लॉट्स का निरिक्षण किया जा सके ।

14.8 जिस गोदाम में प्रकियाकृत बीज या प्रमाणित बीज रखा हो, उसमे अन्य कोई बीज न रखा जावे ।

14.9 संकर कपास में रेशेयुक्त या डिलेंटेड लाट का ही नमूना लिया जावेगा ।

14.10 प्रकिया केन्द्रो पर उत्पादक संस्था द्वारा निम्नानुसार अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से करना होगा ।

क– बीज प्राप्ति रसीद ।
ख– दैनिक बीज उपार्जन पंजी ।
ग– प्रकिया केन्द्र पर स्थापित मशीनों की लागॅ बुक ।
घ– दैनिक बीज पैकिंग पंजी ।

14.11 प्रकिया केंद्रों पर निम्नानुसार अभिलेखों का संधारण उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा कंडिका 14.10 के अभिलेखों की पुष्टि कर एवं संस्था के प्रतिवेदनों के आधार पर प्रति सप्ताह किया जावे ।

क– बीज प्रकिया केन्द्र पंजी ।
ख– फसल पंजी ।
ग– टैग लेखा पंजी

15 बीज परीक्षण हेतु नमूने लेना :–

बीज प्रकिया के साथ–साथ या बीज प्रकिया पूर्ण होने के तीन कार्यकारी दिनों के अंदर बीज परीक्षण हेतु नमूने बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी/उत्पादक के समक्ष लिये जावेंगे । लिये गये नमूने की मात्रा का कोई मूल्य बीज उत्पादक को देय नहीं होगा । बीज नमूने हेतु थैली संस्था द्वारा देय शुल्क पर प्रदाय की जावेगी । अन्य किसी भी प्रकार की थैली नमूने हेतु स्वीकार नहीं होगी ।

15.1 परिशिष्ट VIII में वर्णित मात्रा के तीन एक समान नमूने बनाये जाएंगें तथा उन्हे मुहर बंद किया जावेगा तथा तीन कार्यकारी दिन के अंदर इन नमूनों को नीचे लिखे अनुसार वितरित किया जावेगा ।

15.1.1 एक नमूना बीज परीक्षण प्रयोगशाला हेतु भेजे जाने के लिये उसे संस्था के मुख्यालय को भेजा जावेगा ।

15.1.2 एक नमूना संबंधित कृषक/बीज उत्पादक संस्था को दिया जावेगा ।

15.1.3 एक नमूना संस्था के संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा।

15.1.4 नमूने तीन कार्यकारी दिवस के अंदर आवश्यक रूप से संस्था के प्रधान कार्यालय पर प्राप्त हो जाने आवश्यक है । नमूने भेजने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए । नमूने भेजने की व्यवस्था उत्पादक संस्था द्वारा की जावेगी । संकर किस्मों एवं ऐसे नमूनों जिनका अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण आवश्यक हो अथवा प्रमाणीकरण की दृष्टि में आवश्यक हो, के नमूने संस्था द्वारा भेजे जावेंगे ।

15.1.5 मुख्यालय को प्राप्त नमूनों का कोडिंग किया जावेगा तथा कोडेड नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे जावेगे ।

5.2 बीज नमूने लेने , सील करने इत्यादि का कार्य एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण का कार्य निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत किया जावेगा ।

5.3 बीज परीक्षण परिणाम प्रधान कार्यालय में प्राप्ति के बाद डिकोडिंग उपरांत संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों /उत्पादक संस्थाओं को भेजे जावेगें ।

5.4 सर्विस नमूनों का परीक्षण शुल्क रू. 100 प्रति नमूने सहित प्रबंध संचालक की अनुमति से होगा । यह नमूने पहले मुख्यालय कोडिंग हेतु भेजे जावेगें ।

5.5 <u>बीज उपचार</u> :– छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मतानुसार प्रमाणीकरण के अंतर्गत कोई किस्म यदि बीज से फैलने वाली बीमारी के रोग जनकों के लिए संग्राही है या प्रमाणीकरण के अंतर्गत बीज रोग जनकों का वाहक है और यदि ऐसा उपचार उपलब्ध है जो सही तरीके से करने से बीमारी या रोगजनक की रोकथाम कर सकता है तो संस्था ऐसे बीज का उपचार प्रमाणीकरण से पहले करवा सकती है, तथा यदि बीज उत्पादक अनुरोध करे तो संस्था बिना बीज उपचार के प्रमाणीकरण कर सकती है बशर्ते :–

बीज उत्पादक यह आश्वासन दे कि बीज उपचार का रसायन यदि कोई हो तो थैले के अंदर रख दिया है या बीज में उपयोग करने वाले को बीज बोने के पहले बीज उपचार कराने के उपयुक्त निर्देश दिये गये है । फसलवार बीज उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाले रसायनो की सूची परिशिष्ट VII के अनुसार है ।

16 <u>पुनः नमूना लेना तथा पुनः परीक्षण कराना :–</u>

बीज लॉट के परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर सामान्य स्थिति में बीज परीक्षण परिणाम,संबंधित केन्द्र पर प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर,बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था पुनः नमूना लेने का आवेदन दे सकेगा । पुनः नमूना लेने तथा बीज परीक्षण कराने की स्वीकृति संभाग के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान–XXII के तहत पुनः परीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा देय होगा । पुनः परीक्षण की अनुमति केवल एक बार निम्नानुसार शर्तो पर दी जावेगी ,

पुनः प्रकिया पश्चात जिस घटक का परीक्षण किया जाना है उसको स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे । इसके अतिरिक्त यदि नमूना भेजने वाले अधिकारी किसी नमूने विशेष में अन्य घटकों का भी परीक्षण करना चाहते है तो इस प्रकार की स्पष्ट टीप कूपन में अंकित होना चाहिये ।

17 <u>अनुवांशिक शुद्धता :–</u>

प्रत्येक प्रमाणित बीज लॉट, की आधार एवं प्रमाणित श्रेणी की अनुवांशिक शुद्धता निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार होगी ।

17.1 भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में अनुवांशिक शुद्धता के प्रावधान निर्धारित है । संकर फसलों का ग्रो–आउट परीक्षण अनिवार्य होगा एवं आधार ,प्रमाणित बीज लाटों का ग्रो–आउट परीक्षण ऐच्छिक होगा एवं आवश्यक होने पर प्रमाणीकरण संस्था किसी भी लॉट या लॉटों का अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण कराएगी तथा बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था को इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा तथा मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर ही प्रमाणीकरण किया जाएगा । अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण हेतु संस्था के योग्य अधिकारी/अधिकारियों एवं संबधित फसल प्रजनक/वैज्ञानिकों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध संचालक एक समिति गठित करेंगे।

17.2 निरीक्षण समिति का गणना प्रतिवेदन,ग्रो–आउट परीक्षण प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा अगले कार्यकारी दिवस में ही छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के मुख्यालय भेजा जावेगा । उसकी डिकोडिंग कर यथाशीघ्र परिणाम पुनः बीज प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा । जो संबंधित उत्पादक/संस्था को सूचित करेंगे ।

18 बीज लॉट :–

एक बीज लाट भौतिक रूप से अलग पहचानने योग्य वह मात्रा है जो एक रूप है ।

19 बीज लॉट का प्रकार :–

19.1 एक बीज लॉट की अधिकतम सीमा, विभिन्न फसलों हेतु भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक परिशिष्ट VIII में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी । उत्पादक के खेत से प्राप्त कुल बीज मात्रा यदि निर्धारित मात्रा से अधिक है, तो उसे दो या अधिक असंसाधित बीज लाट में विभाजित कर अलग–अलग लॉट कमांक की सीरीज जैसे 01(i), 01(ii), 01(iii) आबंटित की जाकर लॉट का अलग–अलग संसाधन किया जावेगा ।

19.2 ऐसे प्रत्येक लॉट के नमूनों के परीक्षण हेतु बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था का लाट संख्या अनुसार परीक्षण शुल्क देना होगा ।

20 बीज का प्रमाणीकरण :–

बीज प्रमाणीकरण संस्था की सहमति से प्रकियाकृत बीज उन बोरों/थैलों/डिब्बों में सीधे भरा जा सकता है जिनमें वह विक्रय किया जाता है अथवा बीज परीक्षण परिणाम आने तथा बीजोपचार तक अस्थायी तौर पर बडे थैलो/बोरों में भी भरा जा सकता है । जिन बोरों/थैलों/डिब्बों में बीज अंततः प्रमाणीकरण कराया जाएगा उसका माप आकार,रंग तथा अन्य गुण एवं निर्धारित लेबल बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर पूर्व अनुमोदन कराया जावेगा । पैकिंग मटेरियल के संबंध में बीज प्रोद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में पालन करना अनिवार्य होगा ।

20.1 पुराने बोरों/थैलों/डिब्बों आदि जो एक बार उपयोग हो चुके हो उनमें पुनः प्रमाणित बीज भरकर टैग लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

20.2 बोरों/थैलों/डिब्बों पर प्रमाणीकरण टैग एवं मुहर लगाये जाने की सुविधा होना चाहिये ।

20.3 मुहरबंद करते समय संबंधित बीज लाट में निर्धारित आर्द्रता/स्तर होना आवश्यक है ।

20.4 थैलो पर दर्शाया गया विवरण बीज अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए ।

20.5 किसी बीज लाट की पैकिंग साइज सामान्य से कम करने की अनुमति संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी दे सकेंगे. ।

20.6 किसी भी उत्पादक संस्था प्रमाणित बीज की पैकिंग हेतु उपयोग की जाने वाली बोरियों पर कोई भ्रामक वाक्य/शब्द अंकित नहीं किया जावेगा ।

21 प्रमाण पत्र :–

बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम मानक स्तर का होने पर और जहां प्रावधान हो वहां अनुवांशिक शुद्धता परिणाम मानकों के अनुरूप होने पर तथा अन्य अहर्ताएं पूर्ण होने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–9(3) के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र (पत्रक–7) संबंधित सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा और संबंधित संभागीय कार्यालय के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर एक प्रति बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था, दूसरी एवं तीसरी प्रति संभागीय कार्यालय को तथा चौथी प्रति सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रिकार्ड में रखी जाएगी । इस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, नौ की माह होगी ।
बीज प्रमाणीकरण परिणाम मानकों के अनुरूप प्राप्त होने से सामान्य परिस्थितियों में दो माह के भीतर प्रमाणीकरण (टैगिंग) करना अनिवार्य होगा ।

22 प्रमाणीकरण टैग लगाना :–

प्रमाणीकरण के योग्य बीज लाट के लिये प्रमाणीकरण संस्था प्रत्येक बोरे के लिये टैग एवं सील निर्धारित मूल्य प्राप्त कर देगी तथा यह सुनिश्चित कर लेगी कि, यह टैग,बोरे पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–7 के अंतर्गत बीज उत्पादक/उत्पादक संस्था के लेबिल के साथ लगाये जावेगे । संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि (सहायक/उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी) प्रत्येक टैग पर अपना नाम तथा पद की मोहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे । केवल आलू को छोडकर जंहां शीत भण्डारण के दौरान टैग गल सकते हैं, कोई भी टैग बोरे/थैले/डिब्बे के अंदर नही रखा जाना चाहिये । आलू के लिए प्रदत्त टैग पॉलिथिन के अंदर रखकर बोरी में लगाया जाना चाहिये।

23 संस्था के देय सभी शुल्कों की भुगतान विधि :–

छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क की निर्धारित शुल्क राशि संबंधित सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से प्रबंध संचालक,छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जाकर संस्था के संभागीय कार्यालय भेजी जावेगी । संभागीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षण कर राशि संबंधित मद के पत्रक सहित मुख्यालय भेजी जावेगी । आवश्यकतानुसार संबंधित संभागीय कार्यालय स्तर पर केवल रूपये 100/– तक की राशि उसी समय मनी रसीद जारी करके प्राप्त की जा सकती है तथा उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस में संस्था के खाते में जमा कराई जावेगी ।

24 वैधता अवधि बढाना :–

प्रथम बार प्रमाणीकरण किए गए लॉट की वैधता अवधि समाप्त होने पर उस बीज लॉट का पुनः परीक्षण करवाने के लिए प्रत्येक लाट का कमांक/किस्म श्रेणी के अनुसार अलग–अलग व्यवस्थित कर ले, तथा जो बोरे/थैले फट गए हों या जिनके टैग लेबिल,मुहर आदि निकल गये हो उन्हे अलग करे, क्योंकि ऐसे बोरों/थैले/डिब्बों की वैद्यता बढाना संभव नही होगा यदि संबंधित लॉट का मूल प्रमाणीकरण छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीरकण संस्था द्वारा न किया गया हो तो छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीरकण संस्था यह संतुष्ट होने पर कि बीज प्रकिया करने से बीज की गुणवत्ता बढ़कर मानकों के अनुरूप हो सकती है तो बोरों/थैलों आदि को खोलने से पूर्व बीज का नमूना निकालकर उसे तीन भागों में बांटकर मुहरबंद किया जाएगा और निम्नानुसार वितरित किया जाएगा :–

1. छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीरकण संस्था,रायपुर ।
2. आवेदक व्यक्ति/संस्था ।
3. उस प्रमाणीकरण संस्था को जिसने मूल प्रमाणीकरण किया है पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा तत्पश्चात उस बीज लाट की पुनः प्रकिया करवाकर पुनः बीज परीक्षण कराया जा सकेगा ।

24.2 बीज परीक्षण प्रयोगशाला से मानकों के अनुरूप परिणाम आने पर वैद्यता अवधि छः माह बढाने हेतु प्रमाण पत्र (प्रपत्र–8) जारी किया जाकर उसका वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :–

1 आवेदक व्यक्ति / संस्था
2 संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी
3 संबंधित संभागीय कार्यालय

4. प्रधान कार्यालय द्वारा,मूल प्रमाणीकरण छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया होने पर और ऐसे बीज लॉट की पुनः प्रकिया आवेदित की जाने पर, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के परिशिष्ट IV के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । ऐसे लॉट हेतु जारी किया गया वैधता टैग पर संबंधित उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पुनः प्रकिया करवाकर अथवा बोरे/थैले खोलकर , वैधता अवधि बढाई जाएगी ऐसे बोरो/थैलों के प्रमाणीकरण टैग,संस्था द्वारा सुरक्षित रखकर नयें प्रमाणीकरण टैग, जिसमें मूल टैग का पूर्ण विवरण (मूल प्रमाणीकरण संस्था के नाम सहित) होगा, निर्धारित शुल्क प्राप्तकर जारी किये जायेंगें । इन टैगों के अनुकमांक मूल प्रमाणीकरण संस्था को लॉटवार सूचित किये जावेंगे एवं ऐसे प्रत्येक लॉट के दो टैग संस्था रखेगी शेष नष्ट कर देगी ।

24.3 संबंधित बीज लॉट जो कि परीक्षण में मानकों के अनुरूप पाया गया हो, के प्रत्येक बोरे /थैले के लिए नया वैधता टैग निर्धारित मूल्य प्राप्त कर केवल पहली बार वैधता अवधि बढ़ाते समय दिया जाएगा।

24.4 प्रमाणीकरण का मूल टैग ,वैधता अवधि बढातें समय बोरों/थैलों से उतारा नही जाएगा । यदि संभव हो तो वैधता अवधि बढाने का टैग बोरों/थैलों पर सिलाई कर लगाया जाएगा, अन्यथा मूल टैग पर ही लगा (स्टेपल) कर दिया जाएगा ।

24.5 वैधता अवधि बढाने के कार्य हेतु प्रमाणीकरण संस्था की निम्न परिस्थितियों के लिए शुल्क निर्धारित करेगी :–

1– जहां थैले/बोरे खोले जाना हो ।

2– जहां थैले/बोर खोलकर नमूने लेकर पुनः मुहरबंद किए गए हो ।

3– जहां पुनः प्रकिया सहित वैधता अवधि बढाने का अनुरोध किया जावे, वहां प्रबंध संचालक , छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित अग्रिम शुल्क देय होगा ।

24.6 जिन फसलों में अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण के बाद टैग जारी किये जाते है, ऐसी फसल का बीज यदि अन्य किसी प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित है तो बीज वैधता अवधि बढाने हेतु आवेदित होने पर उक्त लाट में वैधता टैग न लगाये जाकर सिर्फ वैधता अवधि बढाने संबंधी विवरण की सील बाहर लगाई जाएगी ।

24.7 जिन बीज लाट्स की पुनः वैधता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाए वे केवल,आधार या प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित होना चाहिये ।

25 भौतिक दिखावट :–

प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत बीज :–

1. बदरंग होने पर वर्षा अधिक नमी या अन्य किसी भी कारण से भौतिक रूप से खराब बीज जिससे संस्था की राय में बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है , प्रमाणीकरण के लिए मान्य नहीं किया जाएगा ।
2. बीज किसी कीट, व्याधि ,फफूंद या यांत्रिक कारणों से 0.5 प्रतिशत से अधिक खराब नहीं होना चाहिये । उपरोक्त कारणों से किसी लॉट के उतने ही भाग को अयोग्य मानकर निरस्त या अलग कर देना चाहिये बशर्ते कि संस्था को यह विश्वास हो कि भौतिक रूप से खराब हिस्सा अलग करने के पश्चात शेष बीज लॉट उपरोक्त सीमा से अधिक खराब नहीं है ।

26 बीज का पुनः प्रमाणीकरण करना :–

प्रमाणित बीज का उत्पादक या व्यापारी न्यायोचित कारणों से यदि बोरे/थैले या डिब्बों में बंद बीज को उसी हालत में या पुनः प्रकिया करके फिर से नये बोरे/थैले या उन्ही बोरे थैलों में भरकर मुहर तथा प्रमाणीकरण टैग लगाने का आवेदन करे तो प्रमाणीकरण संस्था बताये गये कारणों से संतुष्ट होने पर यह कार्य कर सकेगी बशर्ते कि :–

1. प्रस्तुत थैलो/बोरों पर प्रमाणीकरण टैग व मुहर सही हालत में हो और बोरे/थैले कटे–फटे न हो ।
2. बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप हो तथा निर्धारित अवधि के अंदर हो ।
3. निर्धारित शुल्क दे दिया गया हो ।

27 अग्रिम टैगिंग :–

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अंतर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान XXIX(b) के अंतर्गत अग्रिम टैगिंग कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है ।

27.1 उत्पादक संस्था के प्रमुख को रू 100.00 के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जिन बीज लॉट्स की अग्रिम टैगिंग की जानी है, उनका आवेदन एवं करारनामा प्रमाणीकरण संस्था में पदस्थ संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट Ix)

27.2 आवेदन के अंतर्गत बीज लॉट्स अग्रिम टैगिंग उपरांत किस स्थान पर रखे जायेगे इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।

27.3 आवेदित बीज लाट की अग्रिम टैगिंग के लिये अधिकृत व्यक्ति अग्रिम टैगिंग के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं परिशिष्ट X अनुसार जानकारी उपलब्ध करायेगा । अमानक बीज लॉट के टैग वापस करने का उल्लेख आवेदन में किया जाना अनिवार्य होगा ।

27.4 अग्रिम टैगिंग के लिये बीज लॉट की ग्रेडिंग तुरंत की जाकर सेम्पलिंग करके सीधे पैकिंग कराना अनिवार्य होगा ।

27.5 अग्रिम टैगिंग एवं पैकिंग किये गये बीज लॉटो के भंडारण के दौरान उक्त बीज लॉटो की गुणवत्ता बनाये रखने की जवाबदारी उत्पादक संस्था/अग्रिम टैगिंग हेतु अधिकृत व्यक्ति की होगी ।

27.6 टैग व लेबल एवं प्रमाण पत्र के शीर्ष पर "अग्रिम टैगिंग" शब्द (बडे अक्षरों में) अंकित किया जायेगा ।

27.7 अग्रिम टैगिंग के अंतर्गत जारी टैग व लेबल पर बीज परीक्षण की तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि एवं वैधता तिथि के स्थान पर नमूना लेने की तिथि से 9 माह की वैधता की तिथि अंकित की जावेगी ।

27.8 टैग पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के स्थान पर अग्रिम टैगिंग की तिथि अंकित की जावेगी ।

27.9 यदि बिंदु कमांक 27.2 में उल्लेखित भण्डारण के स्थान प्रमाणीकरण संस्था के दो अलग अलग अधिकारियों के अंतर्गत आते है तो बीज स्थानांतरण के लिये निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों को भी अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा ।

27.10 अग्रिम टैगिंग के परीक्षण परिणाम प्राप्त होने पर मानक अनुरूप पाये गये बीज लॉट्स का अंतिम प्रमाण पत्र पर विपणन के लिये मुक्त (Realase for Sale)की मोहर लगाकर संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जारी करेंगे इसके पश्चात ही प्रमाणित बीज लॉट्स निर्धारित स्थान से हटाये जा सकेंगें ।

27.11 अमानक पाये गये बीज लॉट के टैग उत्पादक संस्था को वापस करना होगे एवं इनका शुल्क वापस नहीं होगा । अमानक बीज लॉट यदि पुनः परीक्षण की श्रेणी में आते है तो उन्हे नियमानुसार आवेदन देकर पुनः परीक्षण कराकर निर्धारित मानक स्तर का परिणाम प्राप्त होने के बाद ही उनकी फिर से टैगिंग की जा सकेगी ।

27.12 पुनः वैधता एवं पुनः परीक्षण के बीज लॉट्स का अग्रिम टैगिंग नही किया जायेगा ।

27.13 यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित बीज उत्पादक संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

28 **प्रमाण पत्र का खण्डन :–**

प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज अधिनियम 1966 की धारा –9 (3) के तहत जारी किये गये प्रमाण पत्र का आवश्यकता पड़ने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–10 के अंतर्गत सामान्य बीज प्रमाणीकरण मानकों के प्रावधान – XXXII में उल्लेखित शर्तों के आधार पर खण्डन करने का अधिकार संस्था को है ।

29 **कार्यप्रणाली के संबंध में प्रबंध संचालक के अधिकार :–**

प्रबंध संचालक ,छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ऊपर बतायी गयी कार्यप्रणाली में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है ।

30 **अपील :–**

बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं केंद्रीय बीज अधिनियम 1966 की धारा–9 एवं 10 के अंतर्गत प्रमाणीकरण संस्था के किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस नियम की धारा–11 के अनुसार गठित अपील प्राधिकारी के सामने संस्था द्वारा दिये गये उक्त निर्णय सूचित किये जाने के 30 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कराने पर अपील कर सकेगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

परिशिष्ट I

छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीरकण संस्था

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर,कृषक नगर,रायपुर 492006

बीज उत्पादन कार्यकम पंजीयन हेतु उत्पादक संस्थाओं के पंजीयन हेतु

No .....

आवेदन पत्र

कमांक..... आवेदन शुल्क रू. 25/–

स्थान ..... राज्य .....

1) आवेदक का पूरा नाम एवं पता.....

अ) उत्पादक संस्था का नाम.....

पता.....

.....

.....

ब) पंजीकृत बीज प्रकिया केंद्र का विवरण ।

भवन/गोदाम कमांक.....स्थान.....

तहसील.....जिला..... .....

टेलीफोन नं.....

.....

.....

2) क्या यह स्वामित्व/भागीदार/लिमिटेड कम्पनी है ?

पूरा नाम एवं पता दें.....

.....सत्यापित प्रन्नि संलग्न करे .....

.....

3) क्या फर्म बीज व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करती है/करेगी (यदि हां तो व्यवसाय का विवरण देवे)

4) क्या फर्म बीज व्यवसाय हेतु पंजीकृत है, यदि हां तो पूरा विवरण दें।

पंजीयन संस्था का नाम.....

पंजीयन कमांक एवं वैद्यता दिनांक.....

.....सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

5) फर्म के स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता.....

.....

.....

6) विकय कर पंजीयन कमांक.....

7) फर्म के पंजीयन हेतु शुल्क रू......................................

बैंक ड्राफ्ट कमांक..

दिनांक..................बैंक का नाम..संलग्न है।

8) घोषणायें :– मैं घोषण करता हूं कि

अ) जो भी जानकारी ऊपर दी जा रही है, वह मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है । एवं मैने संस्था की कार्यप्रणाली एवं भारतीय न्यूनतम बीज मानकों के प्रावधानों को पढ़ लिया है । मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं ।

स्थान :– फर्म मालिक / स्वामी का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक :– फर्म की मुहर.................................

बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालयीन उपयोग हेतु

उक्त फर्म में ....को पंजीयन हेतु मान्य / अमान्य किया जाता है ।

पंजीयन हेतु उपयुक्त हाने के कारण फर्म का बीज उत्पादन कार्यकम हेतु पंजीयन कर ....प्रमाण पत्र आबंटित किया जाता है ।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट II

छत्तीसगढ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर,कृषक नगर ,रायपुर

केन्द्र.....

बीज प्रमाणीकरण हेतु आवेदन –पत्र (आवेदन शुल्क–2/-)

1. आवेदक का नाम.....
   ग्राम .....पो.आ.....जिला.....
2. क्या आप अनुसूचित जाति के हैं हां/नहीं जनजाति के हैं हां/नहीं
3. किस उत्पादक संस्था के माध्यम से किया गया है .....
4. खेत कहॉ पर है (स्पष्ट स्थिति राजमार्ग सहित दें,)
5. भूमि के आधिपत्य संबंधी विवरण(प्रमाण संलग्न करें).....
6. फसल का नाम.....किस्म.....
7. बोये गये बीज की श्रेणी.....प्रमाणित किस श्रेणी में होना है.....
8. बोये गये बीज का लॉट कमांक.....
9. बोई गई मात्रा क्विंटल में.....
10. उत्पादक संस्था द्वारा प्रदाय बीज का चालान क..... दिनांक.....
11. कितने क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यकम लिया गया है (हेक्टयर में).....
12. बोनी की तिथि.....
13. टैग कमांक.....(टैग संलग्न है)
14. किस प्रकिया केंद्र पर संसाधन करना है.....
15. पंजीयन शुल्क.....बैक ड्राफ्ट नं.....
    निरीक्षण शुल्क.....तारीख.....
    बीज परीक्षण शुल्क.....राशि.....
    स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क.....
    ग्रो आऊट परीक्षण शुल्क.....
    कुल योग रूपये.....

मैं छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करूंगा ।

दिनांक.....

संबंधित प्रक्रिया केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

पंजीयन	फसल	किस्म	श्रेणी	आवेदन	कारण
				मान्य / अमान्य	

छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीज प्रमाणीकरण हेतु पंजीयन,प्रमाणीकरण शुल्क तथा अन्य सामान्य नियमों की जानकारी

1. प्रत्येक किस्म के लिये पृथक आवेदन पत्र देना आवश्यक है ।
2. पंजीयन हेतु एक टैग मूल रूप से इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण आवेदक ने अपने आवेदन पत्र कमांक 13 में दिया है । शेष टैग ब्रीडर लेबल प्रथम निरीक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाये।
3. बोआई के 20 दिन के भीतर या अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय में निर्धारित तिथि के भीतर पहुंच जाना चाहिए ।
4. पंजीयन शुल्क प्रत्येक उत्पादक को एक ऋतु में केवल 25/- देय है जो छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर के नाम किसी भी सहकारी / राष्ट्रीकृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा देय होगा ।
5. (अ) प्रमाणीकरण शुल्क : विभिन्न उन्नतशील बीजों के प्रमाणीकरण हेतु निम्नानुसार निरीक्षण शुल्क आवेदक द्वारा छ0ग0 राज्य प्रमाणीकरण संस्था रायपुर के नाम किसी भी बैंक के ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम देय होगा ।

क.	फसल का नाम	दर प्रति हेक्टेयर
1	धान ,गेंहू एवं स्वयं परागित फसलें	200 = 00
	हाईब्रिड –ज्वार,बाजरा,मक्का,अरहर	250 = 00
	हाईब्रिड कपास	750 = 00
	उन्नतशील कपास	250 = 00
	अन्य पर परागित फसलें	250 = 00
	सब्जियां	250 = 00

2 एक एकड़ से कम क्षेत्र को निरीक्षण शुल्क लेने के लिए पूर्ण एकड़ माना जावेगा । हाईब्रिड कपास में आधा एकड़ से कम क्षेत्र को आधा एकड़ एवं आधा एकड से एक एकड़ तक के क्षेत्र को एक एकड़ पूर्ण माना जाकर निरीक्षण शुल्क लिया जायेगा ।

(ब) **बीज परीक्षण शुल्क** : प्रत्येक 200 क्विंटल बीज या उसके अंश के नमूने को जांच हेतु रू. 40/– प्रति नमूना देय होगा । बीज परीक्षण शुल्क संस्था के नाम किसी भी बैक ड्राफ्ट द्वारा बीज प्रकियाकरण के पूर्व निरीक्षण शुल्क के साथ अग्रिम जमा करना होगा ।

(स) **बीज स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क** : गेंहू,ज्वार,बाजरा,धान , बीज स्वास्थ्य हेतु रू. 10/– प्रति नमूना अग्रिम देय होगा ।

(द) **ग्रो–आउट परीक्षण शुल्क** : सभी संकर फसलों के पंजीयन के साथ ग्रोआउट परीक्षण शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।

6. प्रमाणीकरण केवल उन्ही किस्मों का किया जावेगा जो भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की गई हो।

7. बीज प्रमाणीकरण की प्रकिया/नियम संस्था की बीज प्रमाणीकरण की कार्यप्रणाली नामक पुस्तिका में वर्णित है,जिसे संस्था के मुख्यालय से कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है ।

- प्रबंध संचालक

परिशिष्ट III

छत्तीसगढ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

बीज प्रमाणीकरण शुल्क दरें

1–	आवेदन पत्र	2 रूपये प्रति आवेदन
2–	पंजीयन शुल्क	25 रूपये प्रति ऋतु प्रति उत्पादक
3–	निरीक्षण शुल्क	
अ–	धान,गेंहू व अन्य स्वपरागित फसलें	200 रूपये प्रति हेक्टेयर
ब–	पर परागित फसले व सब्जियां	250 रूपये प्रति हेक्टेयर
स–	संकर कपास	750 रूपये प्रति हेक्टेयर
4–	पुनः निरीक्षण शुल्क	सामान्य निरीक्षण शुल्क का आधा
5–	बीज परीक्षण शुल्क	
अ–	प्रमाणीकरण के नमूने	40 रूपये प्रति नमूना
ब–	सर्विस सेम्पल	100 रूपये प्रति नमूना
6–	बीज स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क	
अ–	गेंहूँ,ज्वार,बाजरा,धान	10 रूपये प्रति नमूना
7–	वैधीकरण शुल्क	
अ–	संकर फसलें	20 रूपये प्रति क्विं.
ब–	सामान्य फसलें	10 रूपये प्रति क्विं.
8–	ग्रो आऊट परीक्षण शुल्क	
अ–	संकर फसलें	250 रूपये प्रति नमूना
ब–	सामान्य फसलें	200 रूपये प्रति नमूना
9–	बीज प्रकिया शुल्क	
अ–	संकर फसलें	6 रूपये प्रति क्विं
ब–	सामान्य फसलें	3 रूपये प्रति क्विं
10–	पुनः प्रकिया शुल्क	3 रूपये प्रति क्विं
11–	टैग शुल्क	3 रूपये प्रति क्विं
12–	स्पाट टैगिंग शुल्क	5 रूपये प्रति क्विं
13–	बीज प्रकिया केन्द्र	
अ–	पंजीयन शुल्क	1000 रूपये
ब–	नवीनीकरण शुल्क	500 रूपये वार्षिक
14–	संस्थागत पंजीयन	
अ–	आवेदन पत्र	25 रू. प्रति आवेदन
ब–	पंजीयन शुल्क	1500 रूपये
स–	नवीनीकरण शुल्क	500 रूपये वार्षिक
15–	बीज स्थानांतरण शुल्क	5 रूपये प्रति क्विं.
16–	बीज विपणन शुल्क	5 रूपये प्रति क्विं.

परिशिष्ट IV

बीजों के उत्पादन संसाधन तथा प्रमाणीकरण संबंधी कैलेण्डर

खरीफ

(1) पंजीयन हेतु निर्धारित तिथियां :–

1.1	संकर कपास	15 जुलाई
1.2	उन्नत कपास,ज्वार,बाजरा,मक्का,उड़द,मूंग, तिल,सोयाबीन,मूंगफली,रामतिल,धान (जल्दी पकने वाली) व अन्य फसलें	31जुलाई
1.3	धान (मध्यम व देर से पकने वाली) बोनी की तिथि के 20 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन पंजीयन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा।	15 अगस्त

प्रक्रिया एवं टैगिंग हेतु निर्धारित तिथियां :–

(2) असंसाधित बीज प्राप्त करने की अंतिम तिथियां :–

2.1	मक्का,बाजरा,मूंगफली,ज्वार,उड़द मूंग,सूरजमूखी,तिल,रामतिल	31 दिसम्बर
2.2	संकर कपास,उन्नत कपास	05 जनवरी
2.3	धान,संकर बाजरा एवं संकर ज्वार,सोयाबीन	15 जनवरी
2.4	अरहर,जूट,अरंडी,मिर्च	28 फरवरी

(3) बीज प्रक्रिया व नमूने भेजने की अंतिम तिथि :– असंसाधित बीज प्राप्ति के एक माह के अंदर किंतु अधिकतम निम्नानुसार

3.1.1	मक्का,बाजरा,मूंगफली,ज्वार,उडद,मूंग, सूरजमूखी	15 जनवरी
3.1.2	जी.ओ.टी. हेतु	31 जनवरी
3.1.1	संकर कपास (बीज परीक्षण हेतु)	5 जनवरी
3.2.2	जी.ओ.टी. हेतु	15 जनवरी
3.3.1	धान, उन्नत कपास ,संकर बाजरा संकर ज्वार,सोयाबीन (बीज परीक्षण हेतु)	15 फरवरी
3.3.2	जी.ओ.टी. हेतु	31 जनवरी
3.4.1	अरहर,जूट,अरंडी,मिर्च (बीज परीक्षण हेतु)	15 मार्च
3.4.2	जी.ओ.टी. हेतु	05 मार्च

(4) बीज परीक्षण उपरांत परिणाम उपलब्धि की अंतिम तिथि :– परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नमूने प्राप्त होने के 25 दिन के अंदर परीक्षण परिणाम अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करावें

4.1	मक्का,बाजरा,मूंगफली,ज्वार,उड़द,मूंग,तिल रामतिल	31 मार्च
4.2	संकर कपास	31 मार्च
4.3	धान, उन्नत कपास ,संकर बाजरा संकर ज्वार,सोयाबीन	31 मार्च
4.4	अरहर,जूट,अरंडी,मिर्च	20 अप्रैल

(5) बीज टैगिंग एवं पैकिंग की अंतिम तिथि :– बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के एक माह के अंदर किंतु अधिकतम निम्नानुसार

5.1	मक्का,बाजरा,ज्वार,उड़द,मूंग,तिल,रामतिल	30 अप्रैल
5.2	संकर कपास, उन्नत कपास	25 अप्रैल से 05 मई तक
5.3	धान,संकर बाजरा संकर ज्वार,सोयाबीन	30 अप्रैल
5.4	अरहर,जूट,अरंडी,मिर्च	30 अप्रैल

(6) पुनः प्रकिया हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि:– बीज परीक्षण प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर

(7) ग्रो–आउट परीक्षण हेतु तिथियों का निर्धारण :–

7.1	नमूने कोडिंग' की तिथि :–	
7.1.1	संकर कपास हेतु	20 जनवरी
7.1.2	अन्य फसलों हेतु	10 फरवरी
7.2	बोआई की तिथि :–	
7.2.1	संकर कपास हेतु	30 जनवरी
7.2.2	अन्य फसलों के लिये	15 जनवरी
7.3	ग्रो–आउट परीक्षण हेतु निरीक्षण की तिथियां(प्लाट्स निरीक्षण तिथियां) :–	
7.3.1	संकर कपास हेतु	15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक

7.3.2	उडद,मूंग	30 मार्च से 15 अप्रैल
7.3.3	उन्नत कपास,सोयाबीन	30 मार्च से 15 अप्रैल
7.3.4	धान	30 मार्च से 15 अप्रैल
7.4	परीक्षण परिणाम भेजने की अंतिम तिथि:–	
7.4.1	संकर कपास हेतु	20 अप्रैल से 30 अप्रैल
7.4.2	उडद,मूंग	20 अप्रैल
7.4.3	उन्नत कपास,सोयाबीन	30 अप्रैल
7.4.4	धान	15 मई

रबी

(1) पंजीयन हेतु निर्धारित तिथियां :–

1.1	तोरिया,अलसी,मसूर,सरसों	15 नवम्बर
1.2	उक्त फसलों के अतिरिक्त रबी फसलें बोनी की तिथि के 20 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन पंजीयन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा।	30 दिसम्बर

प्रकिया एवं टैगिंग हेतु निर्धारित तिथियां :–

(2) असंसाधित बीज प्राप्त करने की अंतिम तिथियां :–

2.1	जल्दी बोयी जाने वाली फसलें तोरिया,अलसी,मसूर फसलें	15 अप्रैल
2.2	मध्यम बोयी जाने वाली फसलें चना,मटर,एवं गेंहू(उंची जाति)	20 अप्रैल
2.5	देर से बोयी जाने वाली फसलें गेंहू बौनी जाति (आधार श्रेणी के लॉट्स हेतु)	25 अप्रैल
	गेंहू बौनी जाति (प्रमाणित श्रेणी के लॉट्स हेतु)	30 मई

(3) बीज प्रकिया व नमूने भेजने की अंतिम तिथि :–

3.1	जल्दी बोयी जाने वाली फसलें :–	
3.1.1	तोरिया,सरसों,मटर,अलसी(बीज परीक्षण हेतु)	30 मई
3.1.2	जी.ओ.टी. हेतु	30 अप्रैल
3.2	मध्यम बोयी जाने वाली फसलें :–	
3.2.1	चना,मटर,एवं गेंहू(उंची जाति) (बीज परीक्षण हेतु)	15 जून
3.2.2	जी.ओ.टी. हेतु	30 अप्रैल
3.3	देर से बोयी जाने वाली फसलें :–	
3.3.1	गेंहू बौनी जाति(बीज परीक्षण हेतु)	15 जुलाई
3.3.2	जी.ओ.टी. हेतु	30 अप्रैल

(4) बीज परीक्षण उपरांत परिणाम भेजने की अंतिम तिथि :–

4.1	जल्दी बोयी जाने वाली फसलें तोरिया,सरसों,अलसी,मसूर	15 जुलाई
4.2	मध्यम बोयी जाने वाली फसलें :– चना,मटर,एवं गेंहू(उंची जाति)	30 जुलाई
4.3	देर से बोयी जाने वाली फसलें :– बौनी गेंहूं	30 अगस्त

(5) बीज टैगिंग एवं पैकिंग की अंतिम तिथि :–

5.1	जल्दी बोयी जाने वाली फसलें तोरिया,सरसों,अलसी,मसूर	15 अगस्त
5.2	मध्यम बोयी जाने वाली फसलें :– चना,मटर,एवं गेंहू(उंची जाति)	15 सितम्बर
5.3	बौनी गेंहूं जाति	15 अक्टूबर

(6) पुनः प्रकिया हेतु, आवेदन करने की अंतिम तिथि:–
बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर

ग्रीष्म

1. पंजीयन :–
फसलें :–

(1)	धान	28 फरवरी
(2)	सोयाबीन,मक्का	15 मार्च
(3)	मूंग,उर्द	15 मार्च
(4)	सब्जियां	15 अप्रैल

2. असंसाधित बीज प्रकिया केन्द्र भेजने की अंतिम तिथियां :–
फसलें :–

(1)	धान	20 मई
(2)	सोयाबीन,मक्का	20 मई
(3)	मूंग,उर्द	31 मई
(4)	सब्जियां	30 जून

3. बीज प्रकिया व नमूना भेजना :–
फसलें :–

(1)	धान	10 जून
(2)	सोयाबीन,मक्का	20 जून
(3)	मूंग,उर्द	20 जून
(4)	सब्जियां	30 जुलाई

4. बीज परीक्षण परिणाम प्राप्ति :–
फसलें :–

(1)	धान	नमूना
(2)	सोयाबीन,मक्का	प्रयोगशाला
(3)	मूंग,उर्द	भेजने से 30
(4)	सब्जियां	दिन के अंदर

5. अंतिम प्रमाणीकरण की तिथियां :–
फसलें :–

(1)	धान	15 जुलाई
(2)	सोयाबीन,मक्का	15 जुलाई
(3)	मूंग,उर्द	15 जुलाई

बोने की तिथि से 20 दिन के अंदर आवेदन स्वीकार्य होंगे ।

परिशिष्ट V

संसाधन जाली छिद्रों के आकार

क.	फसल	जाली का माप मि.मि. में	
		ऊपरी जाली	निचली जाली
1	2	3	4
	खाद्यान Cereals		
1	जौ (Barley)		
	2 Rowed 3 Rowed 6 Rowed	6.50r 6.50r	2.30s 2.10s,2.20s
2	धान (Paddy)	2.80s,9.00r	1.80s,1.85s
3	गेंहू (Wheat) T. aestivum T. durm	6.00r 6.00r	1.80s,2.10s,2.30s 2.10s,2.30s
4	ट्रिटकेल (Triticale)	6.00r,7.00r	2.10s,2.30s
	मिलेट्स (Millets)		
1	मक्का (Maize execpt popcorn)	10.50r,11.00r	6.40r,8.00r
2	पॉपकार्न (Popcom)	8.75r	4.25r,4.75r
3	ज्वार (Sorghum)	4.75r	2.10s,3.50r
4	बाजरा (Pearl Milet)	3.25r	1.30r,1.30s,1.40r. 1.40s,1.60r,1.90r
5	बर्नयार्ड मिलेट्स(Bamyard Milet)	3.25r	1.40s,1.80r
6	कॉमन मिलेट्स (Common Milet)	3.80r	1.60s
7	फिंगर मिलेट्स(Finger Milet)	3.25r	1.40s
8	इटालियन मिलेट्स(Itanlian Milet)	3.25r	1.20s,1.30r
9	कोदो मिलेट्स(Kofo Milet)	3.80r	1.60s,2.00r
10	लिटिल मिलेट्स(Little Milet)	2.50r	1.60r
	दालें Pulses		
1	उर्द (Blackgram)	5.00r	2.80s
2	चना (Bengalgram)	9.00r,10.00r	5.00r,5.50r,6.00r
3	लोबिया(Cow pea)	7.00r	3.50r,4.00r
4	मूँग(Green gram)	5.50r	2.80s,3.20s
5	सेम(Indian Bean)	8.75r	4.75s
6	मसूर(Letil)	7.00r	3.20s,4.00r,4.75r

7	अरहर(Pigeon pea)	9.50r	3.20s,4.00r,4.75r
8	राजमा (French bean)	11.0r	4.75s
	तिलहन(Oil Seeds)		
1	अरण्डी(Castor)	13.50r	4.40s,6.00r
2	राई एवं सरसों(Indian Rapeseed & Mustard)	2.75r,3.00r, 3.25r	0.90s,1.00s,1.10s, 1.40r
3	अलसी(Linseed)	4.00r	2.00r
4	रामतिल(Niger)	3.20r	1.20s
5	तारामीरा(Rocket Salad)	3.20r	1.10s,1.20s
6	कुसुम(Safflower)	7.25r	1.20s
7	तिल(Sesame)	2.40r	1.60r,1.90r
8	सोयाबीन(Soyabean)	8.00r	4.00s
9	सूर्यमुखी(Sunflower)	9.00r	2.40s
	रेशे वाली फसलें (Fibers)		
1	कपास (Cotton) Fuzzy Delinted	 14.30r 7.20r	 5.20s 3.90s
2	जूट(Jute) Capsularis Olitorius	 2.40r 2.00r	 1.20r,1.60r 0.80r,1.00r
	चारे वाली फसलें (Forages)		
1	बरसीम (Berseem) Diploid Tetraploid	 2.00r 2.40r	 1.00s 1.20s
2	ज्वार चारा (Forage Sorghum)	4.00r,4.75r	2.10s
3	ग्वार (Guar(Cluster Bean)	6.00r	1.80s
4	ग्यूनग्रास(Guineagrass)	2.10r	2.40X0.65m
5	सेंजी (Indian Clover)	2.10r	2.40X0.80m
6	लूसर्न (Lucene)	2.50r	0.70s,0.70X0.70m
7	जई(Oats)	7.50r	2.00s
8	सेटारिया ग्रास (Sataria Grass)	2.40r	1.90s
9	सुडान ग्रास(Sudan Grass)	4.00r	1.20s.1.30s
	सब्जी वाली फसलें (Veg-Crops) **कद्दू वर्गीय फसलें (Cucurbits)**		
1	ऐशगार्ड (Ashgourd)	9.50r	6.40r
2	करेला (Bittergourd)	11.00r	6.50r
3	लौकी (Bottlegourd)	11.00r	6.50r

4	ककड़ी (Cucumber)	8.00r	2.00r,2.50r
5	टिन्डा (Indian Squash)	9.50r	6.40r
6	लॉगमेलन (Longmelon)	5.00s	1.00r
7	खरबूजा (Muskmelon)	5.00s	1.00r
8	कद्दू (Pumpkin)	11.00r	6.50r
9	तोरई (Ridgegourd)	9.50r	6.40r
10	स्नेकगार्ड (Snakegourd)	9.50r	6.40r
11	स्नेपमेलन (Snapmelon)	5.00s	1.00r
12	गिल्की (Spongegourd)	9.50r	6.40r
13	समर स्क्वेश (Summer Squash)	8.00r	2.00r
14	तरबूज (Watermelon)	6.00r	1.80s
	फल वाली सब्जियां (Fruit vegetable)		
1	बैंगन (Brinjal)	4.00r	0.80s,2.10r
2	केप्सिकम (Capsicum) (Sweet Papper)	4.00r	0.80s,2.10r
3	मिर्च (Chilli) (Hot pepper)	4.00r	0.80s,2.10r
4	भिण्डी (Okra)	6.00r	4.30r
5	रेट–टैल रेडिश (Rat-tall Radish)	4.50r	2.00r
6	टमाटर (Tomato)	4.00r	0.80s,2.10r
	हरी पत्तीदार सब्जियां (Greens/Leafy Vegetables)		
1	एसपेरागस (Asparagus)	6.00r	2.40r
2	सिलेरी (Celery)	1.80r	0.40s,0.65X0.65m
3	मेथी (Fenugreek) Large & Medium small	3.25r 2.10r	1.20s 0.69X0.69m
4	सलाद (Lettuce)	2.30r	0.80r
5	पार्सले (Parsley)	2.75r	0.75s
6	चुकंदर (Spinach Beet)	5.50r	1.80s,1.85s,2.25r
7	पालक (Spainach) Round Seeded Sharp Seeded	5.00r 8.00r	2.75r 2.50r
	कालॅ काप्स (Cole Crops)		
1	पत्तागोभी (Cabbage)	2.75r	0.90s
2	फूलगोभी (Cauliflower)	2.75r	1.10s
3	ब्रोकोली (Broccoli)	2.75r	1.10s
4	चाईनिज कैबैज(Chinese Cabbage)		

	(Heading & non-Heading)	2.75r	0.90s
5	गांठगोभी (Knol-Khol)	2.75r	1.10s
	बल्ब वाली फसलें (Bulb Crops)		
1	प्याज (Onion)	3.80r	2.00r
	जड़वाली फसलें (Root Crops)		
1	गाजर (Carrot)	2.30r	1.00r
2	सेलेरिक (Celeriac)	1.80r	0.40s,0.65X0.65m
3	शकरकंद (Sugarbeet) Monogerm Multigerm	 9.00r 9.00r	 3.00r 2.50r
4	गार्डनबीट (Gardenbeet)	9.00r	3.00r
5	मूली (Radish)	4.50r	2.00r
6	शलजम (Turnip)	1.80r	1.20r

r = गोल छिद्र वाली जाली (Screens with round perforations)
s = आयताकार छिद्र वाली जाली (Screens with slotted (oblong) perforations)
m = जाली वाली छलनी (Wiremesh sieves)

परिशिष्ट VI

छत्तीसगढ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर,कृषक नगर ,रायपुर

बीज प्रकिया केंन्द्रो के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

1. बीज प्रकिया केंन्द्र जिस उत्पादक संस्था का है, नाम.....
.....ग्राम.....पो.....जिला.....
2. बीज प्रकिया केन्द्र पर उपलब्ध उपकरणों का विवरण :–
(अ) बीज प्रकिया संयंत्र :– किस कंपनी का है.....
.....किस वर्ष निर्मित है .....
प्रति घंटा क्षमता.....
यदि पुराना है तो वर्तमान प्रति घंटा क्षमता.....
विद्युत मोटर की अश्वशक्ति.....
संयंत्र का रेगुलेटर तथा फीड कन्ट्रोलर .....हॉ/नहीं
सही काम कर रहा है या नहीं ।
उपलब्ध जालियों की संख्या .....
जालियों के ब्रश एवं रोलर सही ढंग से काम कर रहे है या नही.....
.....हॉ/नहीं

उपलब्ध जालियों का विवरण :–

क.	फसल	किस्म/प्रकार	उपलब्ध जालियों के छेद का माप		कार्य प्रणाली के परिशिष्ट 5 में निर्धारित माप	
			टॉप	बॉटम	टॉप	बॉटम

विद्युत कनेक्शन मिल चुका है या नहीं ..... हॉ/नहीं
विद्युत के आकस्मिक प्रतिपूर्ति का क्या कोई व्यवस्था है, हॉ/नहीं यदि हां तो क्या.....
प्रकिया संयंत्र को सही ढंग से आधार बनाकर स्थापित किया गया है या नहीं .....
प्रकियाकृत बीज के धीरे निकालने एवं बोरे लगाने हेतु सही व्यवस्था है या नही .....

3. तुलाई मशीन
किस कंपनी का है.....
चालू हालत में है या नहीं..... हॉ/नहीं.....

4. **सिलाई मशीन**
   किस कंपनी का है.....
   चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
5. **आर्द्रता मशीन**
   किस कंपनी का है.....
   चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
6. **प्रि–क्लीनर** :–(यदि है तो)
   किस कंपनी का है.....
   चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
   क्षमता (वर्तमान).....
7. **इन्डेन्टेड सिलेन्डर** :–(यदि है तो)
   किस कंपनी का है.....
   चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
   क्षमता (वर्तमान).....
8. **ड्रायर** :–(यदि है तो)
   किस कंपनी का है.....
   चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
   क्षमता (वर्तमान).....
9. बीज उपचार हेतु क्या व्यवस्था है .....
10. **एग्जास्ट फैन**
    किस कंपनी का है.....
    चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
11. **अग्निशामक यंत्र**
    किस कंपनी का है.....
    चालू हालत में है या नहीं..... हॉ / नहीं.....
12. **भण्डारण**
    स्वयं का है अथवा किराये का
    यदि किराये का है तो मालिक का नाम.....
    (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
    भण्डारण क्षमता.....
    प्रकिया केंद्र से दूरी.....
    बीज भण्डारण के योग्य है या नहीं .....
13. **शेड**
    प्रकिया के पूर्व अथवा पश्चात सुखाने, तुलाई करने , सिलाई करने,बीज की चुनाई करने आदि की समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं.....
    यदि व्यवस्था है तो शेड का आकार.....

14. असंसाधित बीज की मात्रा जिसकी प्रकिया किया जाना संभावित है ।
15. असंसाधित तथा प्रकियाकृत बीज को रखने की पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था है ।.....हां/नहीं
16. बीज प्रकिया संयंत्र जहां स्थापित किया गया है प्रकाश तथा हवा की समूचित व्यवस्था है अथवा नहीं ।..... हां/नहीं
17. बीज प्रकिया संयंत्र एवं भण्डारण भवन में छत,तल,दिवालें में दरारें तो नहीं है।..... हां/नहीं
18. भण्डार गृह के आवश्यकतानुसार वुडन पेलैट्स,तारपोलिन,धुम्रीकरण है या नहीं ।
19. उप/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के कार्य करने हेतु बैठने की तथा रिकार्ड रखने हेतु समुचित व्यवस्था है या नहीं ।
20. प्राथमिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ।
21. क्या तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति केन्द का प्रबंधक है, प्रबंधक का नाम व योग्यता लिखें ।
21. प्रकिया केन्द्र प्रभारी का नाम.....

श्री.....
पदनाम.....
दिनांक.....

प्रकिया केन्द्र प्रभारी
उत्पादक संस्था के प्रतिनिधि अथवा
मालिक के हस्ताक्षर

बीज प्रकिया केन्द्र, के पंजीयन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षणकर्ता अधिकारी की टीप व स्पष्ट अनुशंसा

संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का अभिमत

स्थान :–

दिनांक :–

परिशिष्ट VII

बीज उपचार के लिए सिफारिश की गई अनुसूची

फसल	रसायन का नाम और इसका संरूपण	रसायन की मात्रा (ग्राम) में	उपचार का प्रकार	पानी की मात्रा (लि.)
1	2	3	4	5
खाद्यान				
मक्का	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	70	गा.	1/2
	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.	70	गा.	1/2
धान	थायरम 75% डब्लू.पी.या	250	गा.	1/2
	कार्बेण्डेजिम 50% या	250	गा.	1/2
	सिरेसन (एम.ई.एम.सी.)			
	या ई.एम.सी. या	60	गी. बीज डुबाने के लिए	
	ऑर्गेनो–मर्क्यूरयल 1%	250	सू.	–
पर्ल मिलेट	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	75	गा.	1/2
(बाजरा)	थायरम 75% धूल या	300	सू.	–
	कैप्टान 75% धूल	300	सू.	–
	मैटलैक्सिल 35% डब्लू.एस.	600	गा.	–
	ऑर्गेनो–मर्क्यूरयल 1%	250	सू.	–
	ब्राइन	बीज को पूरी तरह डुबाने के लिए घोल		
ज्वार	थायरम 75% या	85	गा.	1/2
	कैप्टाफॉल	200	गा.	1/2
गेंहू	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा.	1/2
	मनकॉजेब	200	गा.	1/2
	ऑर्गेनो–मर्क्यूरयल 1%	250	सू.	–
	काबोक्सिन 75% डब्लू.डी.पी.या		250	सू.
		250	गा.	1/2
	कार्बेण्डेजिम 50% डब्लू.पी.	250	सू.	1/2
दलहन				
चना	कैप्टाफॉल	250	गा.	1/2
उड़द	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–
	कार्बेण्डेजिम 50% डब्ल्यू.पी.	100	गा.	1/2
लोबिया	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा.	1/2
	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
मूंग	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	75	गा.	1/2

	कैप्टाफॉल	250	सू.	–
	कार्बेण्डेजिम 50% डब्ल्यू.पी.	100	सू.	–
अरहर	थायरम 75% डब्ल्यू.डी.पी.	175	गा.	1/2
तिलहन				
मूंगफली	कैप्टान 75% धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	125	गा.	1/2
	कैप्टाफॉल	200	सू.	–
रेपसीड व सरसों				
	कैप्टान 75% धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	125	गा.	1/2
	कैप्टाफॉल	200	सू.	–
सोयाबीन	कैप्टान 75% धूल और	150	सू.	–
	थायरम 75% धूल या	150	–	–
	मनकॉजेब या	300	–	–
	कैप्टाफॉल धूल	300	सू.	–
तिल	थायरम 75% धूल	300	सू.	–
सूरजमूखी	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–
	मनकॉजेब	250	सू.	–
रेशेवाली फसलें				
कपास	कैप्टान 75% धूल या	250	सू.	–
	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	100	गा.	1/2
	इं.एस.सी.एम.ई.एम.सी. 0.2 घोल में बीज को 6 घंटे तक भिगोयें ।			
जूट	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.या	80	गा.	1/2
	कार्बेण्डेजिम 50% डब्लू.पी.	200	सू.	–
मेस्ता	कैप्टान	250	सू.	–
सनई	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	75	गा.	1/2
चारे वाली फसलें				
बरसीम	कवकनाशी / कीटनाशी से उपचार न करें		–	–
रिजका	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	75	गा.	1/2
जई	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.	75	गा.	1/2
सब्जियां				
फलीदार	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा.	1/2
	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
चुकंदर	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
भिंडी	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा.	1/2
	कैप्टान 75% धूल	250	सू.	–
बैंगन	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–

	कैप्टान 75% धूल	250	सू.	–
गाजर	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
गोभीवर्गीय	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
मिर्च व	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–
शिमलामिर्च	कैप्टान 75% धूल	250	सू.	–
ग्वार	थायरम 75% डब्लू.डी.पी.या	75	गा.	1/2
लोबिया	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा.	1/2
	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
खीरावर्गीय	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–
	कैप्टान 75% धूल	250	सू.	–
प्याज	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
पालक	थायरम 75% धूल	335	सू.	–
मटर	कैप्टान 75% डब्लू.डी.पी.या	100	गा..	1/2
	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
मूली	थायरम 75% धूल	250	सू.	–
चुकंदर	थायरम 75% धूल या	250	सू.	–
(चीनीवाली)	कार्बोक्सिन 75% डब्ल्यू.डी.पी. कार्बेण्डेजिम 50% डब्ल्यू.पी.			
टमाटर	थायरम 75% धूल	335	सू.	–
शलगम	थायरम 75% धूल	250	सू.	–

टिप्पणी : 1. कालम 2 में बताई गई दवाइयां वरीयता/प्राथमिकता के कम में दी गई है ।

2. सू. गा. और गी. से तात्पर्य कमशः सूखा बुरकना,गारा बनाकर तथा गीला करके बीज उपचार करने से है ।

3. सब्जियों के बीजों के उपचार के लिए उपर कालम 2 में वर्णित दवाईयों के न होने पर निम्नलिखित वैकल्पिक दवाईयों की सिफारिश की गई है ।

दवाई का नाम	100 कि.ग्रा. बीज के लिए मात्रा (ग्राम में)	उपचार की विधि
कैप्टाफॉल	250	सूखा बुरककर
मैनकॉजेब	250	सूखा बुरककर

4. कार्बन–पारायुंक्त कवकनाशी को सूखा बुरककर बीज का उपचार करने के लिए बीज को थैले/बोरियों में भरने से पूर्व उसका उपचार न करके दवाई की सिफारिश की गई मात्रा प्लास्टिक/कागज के पैकेट में भरकर बीज के थैले/बोरी में रख देनी चाहिये तथा

किसानों की जानकारी के लिए उसमें यह सूचना लिख देनी चाहिए, बुवाई से पूर्व थैले/बोरी में रखे बीज को पैकेट में रखी दवाई से बीज उपचार करने वाले ड्रम में उपचारित करें लेकिन यह उपचार किसी भी दशा में बुवाई की तिथि से अधिक पहले न करें ।"

5. यदि खेत में प्रमाणीकरण के निर्धारित मानक से अधिक संख्या में दाने कंडे रोग से ग्रस्त पाए जाएं तभी बीज का उपचार करें ।
6. यदि खेत में अर्गट रोग प्रमाणीकरण के निर्धारित मानक के अंदर ही हो तो बीज का उपचार करें । निर्धारित मानक से अधिक अर्गट रोग वाले खेत की फसल अस्वीकार कर दी जाती है । ब्राइन से उपचार के संबंध में विशेष सावधानी यह रखें कि ब्राइन मिश्रण में बीज 5–10 मिनट से अधिक नहीं पड़ा रहना चाहिए । बीजों अर्गट स्कलेरोसिया हटाने के बाद उस साफ पानी से बार–बार धोएं ताकि ब्राइन मिश्रण बीज के साथ न लगा रह जाये।
7. अनावृत कंड रोग का यह विशेष उपचार है । बीज पैदा करने के लिए रखे गये बीज का ही उपचार करें ।

ई. एम. सी. – ईथाइल मरकरी क्लोराइड
एम. ई. एम. सी. – मिथॉक्सी ईथाइल क्लोराइड

परिशिष्ट VIII

अधिकतम लॉट का आकार और न्यूनतम नमूना

कार्यकारी आकार नमूना (ग्रा.)

फसल	अधिकतम लॉट का आकार(क्वि.)	भेजे जाने वाले नमूने की न्यूनतम मात्रा(ग्राम)	शुद्धता विश्लेषण हेतु नमूने की मात्रा(ग्राम)	अन्य प्रजातियों की गणना मात्रा(ग्राम)
1	2	3	4	5
खाद्यान				
जौ	200	1000	120	1000
चीना	100	150	15	150
रागी	100	80	8	80
कुटकी	100	70	7	70
मक्का	400	1000	900	1000
जई	200	1000	120	1000
धान	200	700	70	400
बाजरा	100	150	15	150
राई	200	1000	120	1000
ज्वार	100	900	90	900
गेंहू	200	1000	120	1000
2. दलहन				
उड़द	200	1000	120	1000
लोबिया	200	1000	400	1000
चना	200	1000	1000	1000
मूंग	200	1000	120	1000
खेसरी	200	1000	450	1000
मसूर	100	600	60	600
अरहर	200	1000	300	1000
3. तिलहन				
काली सरसों	100	40	4	40
अलसी	100	150	15	150
सोयाबीन	200	1000	500	1000
अरंडी	200	1000	500	1000
मूंगफली	200	1000	1000	1000
सरसों / तोरिया	100	70	7	70
कुसुम	100	900	90	900

तिल	100	70	7	70
सुरजमुखी	200	1000	250	1000
4. रेशेवाली फसलें				
कपास(संकर)	10	500	350	500
कपास(किस्में)	200	1000	350	1000
पटसन	100	80	8	80
मेस्ता	100	700	70	700
सनई	100	100	70	100
5. चारे वाली फसलें				
बरसीम	100	60	6	60
रिजका	100	50	5	50
सुडानघास	100	250	25	250
मकचरी	200	1000	900	1000
6. सब्जियां				
(क) चौलाई	100	70	7	70
चाइनीज बंदगोभी	100	40	4	40
मेथी	100	40	4	40
सलाद	100	30	3	30
पालक	100	250	25	250
(ख) पेठा	200	100	70	700
करेला	200	1000	450	1000
लौकी	200	700	70	700
खीरा	100	150	70	150
ककडी	100	150	70	150
खरबूजा	100	150	70	150
काशीफल	100	350	180	350
काली तोरई	200	1000	400	1000
टिण्डा	200	1000	250	1000
चिकनी तोरई	200	1000	350	1000
तरबूज	200	1000	250	1000
छप्पन कद्दू	200	1000	700	1000
विलायती कद्दू	200	1000	700	1000
जडवाली (सभी)	200	500	50	500
गाजर	100	30	3	30
मूली	100	300	30	300
शलजम	100	70	7	70
(घ) भिंडी	200	1000	140	1000

बैगन,शिमलामिर्च	100	150	15	150
मिर्च	100	150	15	150
टमाटर	100	70	7	70
(ड) बटन गोभी ,बंदगोभी,फूलगोभी,ब्रोकली करमसाग,गांठगोभी,खोल रबी,सप्राउटिंग ब्रोकली				
	100	100	10	100
(च) ग्वार	200	800	80	800
सेम	200	1000	600	1000
फ्रेंचबीन	200	1000	1000	1000
मटर	200	1000	1000	1000
(छ) प्याज	100	80	80	80
7. अन्य				
चिकोरी	100	50	5	50

परिशिष्ट IX

अग्रिम टैगिंग हेतु करारनामा

शपथकर्ता :उत्पादक संस्था प्रमुख का नाम व पता

....

....

शपथग्रहिता : बीज प्रमाणीकरण अधिकारी..

छ0ग0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ....,मैं हस्ताक्षरकर्ता नाम.......................पद...................केन्द्र...................जिला................ आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे उपरोक्त केन्द्र पर फसल .... किस्म...................की मात्रा...........क्वि.................असंसाधित बीज (सूची संलग्न)प्रकिया कर अग्रिम टैगिंग करना चाहते है जिसके लिये आवश्यक करारनामा प्रस्तुत है ।

इस कार्य के लिये मैं स्वयं / मेरी संस्था के श्रीः...................पद.................... को प्रमाणीकरण संस्था के अग्रिम प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने,अग्रिम टैगिंग के लॉट के रख रखाव व अग्रिम टैगिंग किया हुआ कोई भी लॉट अमानक पाया जाता है, तो उन लॉट्स के जारी टैग्स को वापस करने हेतु वचनबद्ध हूँ । यदि बीज उत्पादक संस्था द्वारा इस कार्य के कारण कोई त्रुटि /विवाद होता है तो संपूर्ण जवाबदारी हमारी होगी ।

एडवांस टैगिंग के पश्चात इन लॉट्स को पता...................... स्थान.............................पर भण्डारित किया जायेगा । जब तक इन लॉट्स के अंतिम प्रमाणपत्र संस्था द्वारा जारी नहीं कर दिये जायेगे या प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लिखित अनुमति नहीं दी जावेगी,तब तक हम ना तो इन लॉट्स को इस स्थान से हटायेंगे और न ही इनका विकय करेंगे । हम प्रमाणीकरण संस्था के अग्रिम टैगिंग हेतु निर्धारित किये गये समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं । इस हेतु करारनामा प्रस्तुत है ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता...................

दिनांक............................

उत्पादक संस्था का नाम........

....

पता..

....

परिशिष्ट X

अग्रिम टैगिंग प्रमाण पत्र

मेसर्स.....प्रकिया केन्द्र.....कमांक.....के नमूना पत्र कमांक.....दिनांक.....फसल.....किस्म.....श्रेणी..... लॉट कमांक.....टैग कमांक.....से .....तक कुल संख्या.....कुल थैलियों की संख्या.....पैकिंग साईज प्रति बैग..... कि.ग्रा.,कुल मात्रा.....क्विंटल का अग्रिम टैगिंग किया गया । जब तक इस लॉट के बीज परीक्षण परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते इस लॉट को न तो भण्डारित स्थान से हटाऊंगा न ही विपणन करूंगा । यदि यह लॉट बीज परीक्षण परीणाम मे अमानक पाया जाता है तो समस्त टैग प्रमाणीकरण संस्था को वापस करने की जवाबदारी मेरी होगी ।

हस्ताक्षर .....
नाम.....
उत्पादक संस्था / उत्पादक
संस्था द्वारा अधिकृत अधिकारी
पता.....
.....
मोहर

हस्ताक्षर
उप / सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी